



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2026 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या – 24 / 2026

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 में किए गए प्रावधान के आलोक में राज्य के प्रारम्भिक विद्यालयों (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय) में शिक्षक के पद पर नियुक्ति की पात्रता की जाँच हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2026 से संबंधित विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने से संबंधित योग्यता, अर्हता, पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, आदि की जानकारी के लिए झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 परिषद् के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in के Exam Form Portal section में उपलब्ध है, जिसका गहनतापूर्वक अवलोकन किया जा सकता है। योग्य एवं अर्हताधारी अभ्यर्थियों से इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र दिनांक 21.04.2026 से 21.05.2026 तक आमंत्रित किये जाते हैं।

जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या- 30/2024 के आलोक में सशुल्क आवेदन प्रपत्र भरे गये हैं, उनके लिए भी आवेदन प्रपत्र पुनः भरा जाना अनिवार्य होगा। उक्त अभ्यर्थी झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली-2026 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार नये रूप से भाषा-I एवं नियमावली के अनुसूची-I के अनुरूप भाषा-II का चयन करेंगे तथा पोर्टल पर अन्य वांछनीय जानकारी देना सुनिश्चित करेंगे। इन आवेदकों को अलग-से कोई भी शुल्क देय नहीं होगा।

1. वांछित अर्हता एवं योग्यता –

- (क) भारत का नागरिक हो,
- (ख) आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध नहीं हो।
- (ग) शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएँ :

- (i) प्राथमिक कक्षा (कक्षा 01 से 05) एवं उच्च प्राथमिक कक्षा (कक्षा 06 से 08) के शिक्षकों के लिए :-
परिषद् के वेबसाइट पर उपलब्ध अधिसूचना संख्या 487 दिनांक 26.03.2026 (झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली-2026) में निर्धारित वांछित योग्यता एवं अर्हता के अनुरूप।
- (ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) सहित/पिछड़ा वर्ग-1/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-2 एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्रशिक्षण सत्रानुसार, न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
- (iii) अभ्यर्थी झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने के पूर्व झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली-2026 के नियम 6(ख)(i), 6(ख)(ii), 7 एवं 8 में विनिर्दिष्ट योग्यता के संबंध में स्वयं संतुष्ट हो लेंगे। विज्ञापन प्रकाशित होने के दिन न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा।
परन्तु निर्धारित/विहित प्रशिक्षण की योग्यता की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे आवेदकों को भी इस शर्त के साथ झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्राप्त होगी कि झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन एवं उसके परिणाम के प्रकाशन के बीच, संबंधित परीक्षा आयोजन प्राधिकार द्वारा निर्धारित तिथि को उनके स्तर से विहित रीति एवं स्थान पर, प्रशिक्षण योग्यता उत्तीर्णता का सत्यापित अंतिम अंक पत्र समर्पित करना होगा, जिससे संबंधित सूचना का प्रकाशन, परीक्षा आयोजन प्राधिकार द्वारा समाचार पत्र में किया जायेगा। एतद् संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं. 5564/2019 में पारित आदेश के आलोक में निर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् का पत्रांक 112852 दिनांक 04.08.2022 प्रभावी होगा।
- (iv) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई हो, से तात्पर्य नहीं होगा कि उनकी अर्हता निर्धारित योग्यता के अनुरूप सत्यापित है। उनके अभ्यर्थित्व का अंतिम सत्यापन सहायक आचार्य (वर्ग 01-05 एवं वर्ग 06-08) तथा विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य (वर्ग 01-05 एवं 06-08) के लिए निर्गत नियमावली में घोषित नियुक्ति प्राधिकार, संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक के पास सुरक्षित रहेगा।

- (v) कोई भी अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक में सुधार के लिए एक से अधिक बार परीक्षा में शामिल हो सकेगा।

आयु सीमा :-

- (vi) झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन वर्ष के 01 अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा सरकारी सेवा में निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत होगा।

- परन्तुक (i)** झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची के अन्तर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक), जिनकी सेवा परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार दो वर्ष की हो गई हो एवं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत हों, की संविदा कर्मी के रूप में कार्य करने की अवधि के बराबर अवधि तक अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जायेगी, जो कि अधिकतम उम्र 58 वर्ष तक मान्य होगा।
- (ii)** सभी अभ्यर्थियों को पिछली पात्रता परीक्षा एवं आगामी पात्रता परीक्षा के बीच के अंतराल अवधि में एक वर्ष छोड़कर अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान की जायेगी।
उदाहरण स्वरूप— यदि झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2016 में होने के उपरांत द्वितीय परीक्षा 2026 में हो, तो एक वर्ष घटाने के उपरांत अधिकतम नौ वर्ष की छूट एकबारगी (One time) अवसर के रूप में दी जायेगी।

2. झारखण्ड शिक्षक पात्रता जाँच परीक्षा का स्वरूप निम्नवत् होगा—

- (क) पात्रता जाँच परीक्षा के दो स्तर यथा प्राथमिक विद्यालय स्तर एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के होंगे और अभ्यर्थी दोनों स्तरों की परीक्षा में भी सम्मिलित हो सकते हैं।
(i) कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक विद्यालय स्तर – Level – 1
(ii) कक्षा 6 से 8 के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर – Level – 2
- (ख) प्रत्येक स्तर की परीक्षा में एक समेकित प्रश्न पत्र होगा, जिसकी परीक्षा अवधि निम्नवत् होगी :-
(i) प्राथमिक कक्षा (1 से 5) – 02 घंटा 30 मिनट।
(ii) उच्च प्राथमिक कक्षा (6 से 8)– 02 घंटा 30 मिनट।
(iii) दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए – तीस मिनट का अतिरिक्त समय।
(दृष्टिबाधित दिव्यांग, सी.पी. (Cerebral Palsy) दिव्यांग एवं दोनों हाथों से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए एवं इन्हें Scribe की व्यवस्था प्राप्त होगी)
- (ग) परिषद् के अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जाँच परीक्षा के स्वरूप के अनुसार दोनों स्तरों की परीक्षाएँ आयोजित की जाएगी।
- (घ) प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे और परीक्षा का माध्यम हिन्दी या अंग्रेजी होगा। अन्य भाषा विषयों के प्रश्न पत्र संबंधित भाषा में होंगे।
- (ङ) प्राथमिक विद्यालय कक्षाओं के शिक्षकों की अर्हता जाँच परीक्षा के प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के सिलेबस पर आधारित होंगे। किन्तु इनकी कठिनाई का स्तर माध्यमिक/मैट्रिक या सकमक्ष होगा।
- (च) उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षाओं के शिक्षकों के अर्हता जाँच परीक्षा के प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 6 से 8 के सिलेबस पर आधारित होंगे। किन्तु इसकी कठिनाई का स्तर उच्चतर माध्यमिक/+2 या समकक्ष होगा।
- (छ) परीक्षार्थियों से यह अपेक्षा होगी कि संबंधित भाषा एवं उसके व्याकरण की जानकारी हो एवं उस भाषा में वे शुद्ध-शुद्ध अभिव्यक्त कर सकते हों।
- (ज) परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु निम्नवत् प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा :-

| क्र० | वर्ग | कुल प्राप्तांक न्यूनतम (%) |
|------|--|----------------------------|
| I | सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) | 60 |
| II | पिछड़ा वर्ग-1/पिछड़ा वर्ग-2 | 55 |
| III | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह/दिव्यांग | 52 |

- (झ) परीक्षा के सभी विषयों के प्रश्न वस्तुनिष्ठ (Objective) एवं बहुविकल्पीय प्रकृति के होंगे। जिसका उत्तर OMR Sheet में निर्धारित स्थान पर चिन्हित करना होगा। अंकों की ऋणात्मक गणना नहीं की जायेगी। परीक्षा के दौरान OMR Sheet पर दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे और उनका अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। OMR से किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने, गलत सूचना अंकित करने या गलत OMR का उपयोग करने की स्थिति में अभ्यर्थी का अभ्यर्थित्व रद्द माना जाएगा एवं इसकी सारी जिम्मेवारी संबंधित अभ्यर्थी की होगी। इसमें किसी प्रकार के सुधार हेतु अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

- (ज) OMR Sheet में अंकित निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा प्रश्नवार उत्तर संबंधी गोले को पूर्णतः काला या नीला करेंगे। सही प्रकार से काला या नीला नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित प्रश्न के उत्तर की जांच नहीं की जाएगी और दिए गए उत्तर को अमान्य कर दिया जाएगा।
- (ट) परीक्षाफल प्रकाशन के उपरान्त OMR का पुनर्मूल्यांकन/पुनः जांच नहीं की जाएगी और न ही इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार किया जाएगा।

3. **परीक्षा शुल्क :-**

| क्र0 | वर्ग | प्राथमिक स्तर (कक्षा 01 से 05) के लिए (रुपये में) | उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 06 से 08) के लिए (रुपये में) | प्राथमिक स्तर (कक्षा 01 से 05) एवं उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 06 से 08) दोनों के लिए (रुपये में) |
|------|---------------------------------|---|--|---|
| I | सामान्य वर्ग | 1,300 /- | 1,300 /- | 1,500 /- |
| II | अनुसूचित जाति | 700 /- | 700 /- | 800 /- |
| III | अनुसूचित जनजाति | 700 /- | 700 /- | 800 /- |
| IV | विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह | 500 /- | 500 /- | 600 /- |
| V | पिछड़ा वर्ग - 1 | 1,300 /- | 1,300 /- | 1,500 /- |
| VI | पिछड़ा वर्ग - 2 | 1,300 /- | 1,300 /- | 1,500 /- |
| VII | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) | 1,300 /- | 1,300 /- | 1,500 /- |
| VIII | दिव्यांग | 700 /- | 700 /- | 800 /- |

* शुल्क की राशि जमा करने के पश्चात् उक्त राशि वापस योग्य नहीं होगा। (Fee not refundable)

- अभ्यर्थी ऑनलाइन भरे जाने वाले आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सही-सही एवं त्रुटिरहित करेंगे। आपके द्वारा भरे गये प्रविष्टियों के आधार पर ही परीक्षा का प्रवेश पत्र, परीक्षाफल का प्रकाशन एवं प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा। ऑनलाइन भरे गये प्रविष्टियों में बाद में या परीक्षाफल प्रकाशन के उपरान्त किसी भी प्रकार का संशोधन संबंधी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अतः आवेदक सभी प्रविष्टियाँ ध्यानपूर्वक भरेंगे। ऑनलाइन भरे गए आवेदन प्रपत्र ही स्वीकार किए जायेंगे। किसी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन प्रपत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
- प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड करने की तिथि एवं परीक्षा की तिथि बाद में प्रकाशित की जाएगी। डाक या किसी अन्य माध्यम से किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र नहीं भेजा जायेगा।
- आवेदन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं की सत्यता की जाँच नियुक्त के समय की जायेगी। यदि उक्त क्रम में कोई भी सूचना भ्रामक, त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण या असत्य पाया जायेगा तो शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए उनका अभ्यर्थित्व परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद भी स्वतः रद्द समझा जायेगा एवं इसकी सम्पूर्ण जबाबदेही संबंधित अभ्यर्थी की होगी।
- कदाचार के आरोपित अभ्यर्थी को अगले दो परीक्षा तक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जाएगा।
- सफल उम्मीदवारों के प्रमाण-पत्र की वैधता नियमावली में अंकित प्रावधानों के अनुसार उनके शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक उपाधियों एवं अन्य वांछित प्रमाण-पत्रों की प्रामाणिकता/सत्यता के फलाफल पर निर्भर/प्रभावित करेगा।
- झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर सहायक आचार्य/विशेष शिक्षा सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति का दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा। यह मात्र एक पात्रता जाँच परीक्षा है।
- कृपया परिषद् के वेबसाइट पर उपलब्ध झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा-2026 से संबंधित सभी नियमावलियों, सूचनाओं, निदेश, परिपत्र, आदेश, आदि को सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लेंगे। उक्त में उल्लिखित प्रावधान ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे।

नोट :- विज्ञापन तैयार करने में पूरी सावधानी बरती गई है, फिर भी झारखण्ड अधिविद्य परिषद् भूल सुधार या टाईपिंग भूल सुधार का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।

अध्यक्ष के आदेश से,

JAC/JTET/2406/24-Secy/258/26

Dated - 28.03.2026

ह0/-

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,

राँची।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

487
26/03/2026

अधिसूचना

संख्या S/वि.1-04/2018.....487 / निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) की धारा 38 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) के अधीन झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं:-

अध्याय-1 प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :-

- (क) यह नियमावली "झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली-2026" कही जायेगी।
- (ख) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (ग) यह नियमावली, राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ :-

- (क) "राज्य सरकार" से तात्पर्य है, झारखण्ड सरकार।
- (ख) "विभाग" से तात्पर्य है झारखण्ड सरकार का स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग।
- (ग) "अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव" से तात्पर्य है, झारखण्ड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में सरकार के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।
- (घ) "निदेशक" से तात्पर्य है निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड सरकार।
- (ङ) "जिला शिक्षा अधीक्षक" से तात्पर्य है झारखण्ड राज्य के किसी जिले में प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी के रूप में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पदाधिकारी।

11/03/2026

- (च) "प्रारंभिक विद्यालय" से तात्पर्य है झारखण्ड राज्य अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक सरकार द्वारा वित्त पोषित/ अनुदान प्राप्त अथवा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय।
- "प्राथमिक विद्यालय" से तात्पर्य है ऐसे प्रारंभिक विद्यालय जहां कक्षा 1 से 5 तक के कक्षा की पढ़ाई होती हो।
 - "उच्च प्राथमिक विद्यालय" से तात्पर्य है ऐसे प्रारंभिक विद्यालय जहां कक्षा 6 से 8 तक के कक्षा की पढ़ाई होती हो।
- (छ) "प्रशिक्षित" से तात्पर्य है, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त और उत्तीर्ण हो।
- (ज) "मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षक प्रशिक्षण" से तात्पर्य है कि इस नियमावली में उल्लेखित एवं वॉछित शिक्षक प्रशिक्षण, चाहे जो नियमित रूप से अथवा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किये गये हों, परन्तु
- (i) यदि शिक्षक प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के प्रभावी होने की तिथि 01.07.1995 के बाद प्राप्त हों तो यह शिक्षक प्रशिक्षण मात्र उन प्रशिक्षण संस्थानों से प्राप्त एवं उत्तीर्ण किये गये हों, जिन्हें ये शिक्षक प्रशिक्षण प्रदत्त करने हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की मान्यता अनिवार्यतः प्राप्त हो।
 - (ii) यदि शिक्षक प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के प्रभावी होने की तिथि 01.07.1995 के पूर्व प्राप्त हों, तो ये शिक्षक प्रशिक्षण मात्र उन प्रशिक्षण संस्थानों से प्राप्त एवं उत्तीर्ण किये गये हों, जिन्हें ये शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उस राज्य, जहाँ वे अवस्थित हों, की राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मान्यता अनिवार्यतः प्राप्त हों।
- (झ) "सहायक आचार्य" से तात्पर्य है राज्य सरकार के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य करने वाले व्यक्ति।
- (ञ) "परीक्षा प्राधिकार" से तात्पर्य है, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार जो नियमावली के प्रावधानों के अधीन झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी।
- (ट) "अर्हक परीक्षा" से तात्पर्य है, झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा।

- (ढ) "विशेष शिक्षा प्रशिक्षण" से तात्पर्य है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद् के द्वारा विशेष शिक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम एवं मान्यता के अनुरूप प्रशिक्षण में उत्तीर्णता।
- (ड) "अधिनियम" से तात्पर्य है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35)।
- (ढ) "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.)" से तात्पर्य है अधिनियम की धारा 23(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अकादमिक प्राधिकार।
- (ण) "विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य" :- भारतीय पुनर्वास परिषद्, द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से निर्धारित योग्यता के अनुसार विशेष शिक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति, जो प्रारंभिक विद्यालय के दिव्यांग विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य करते हों।
- (त) सहायक आचार्य (उर्दू) से तात्पर्य है राज्य सरकार के प्रारंभिक विद्यालयों में उर्दू भाषा एवं विषय के शिक्षण हेतु अहर्ताधारी सहायक आचार्य।

अध्याय-2 शिक्षक पात्रता परीक्षा

3. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 (1) के अन्तर्गत शिक्षक के पद पर नियुक्त होने के लिए न्यूनतम अहर्ता निर्धारित करने हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.), केन्द्र सरकार द्वारा अकादमिक प्राधिकार अधिसूचित है। शिक्षक के रूप में नियुक्ति की न्यूनतम अहर्ता निर्धारित करने के संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा निर्गत सभी आदेश/निर्देश/संशोधन स्वतः इस नियमावली के अध्याय-2 का अंश होगा।
4. इस नियमावली के अध्याय-2 के कंडिका-6 में वर्णित न्यूनतम अहर्ता एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहर्ता में किसी प्रकार की भिन्नता अथवा दुविधा होने पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहर्ता प्रभावी होगी।
5. शिक्षक पद पर नियुक्ति की पात्रता की जाँच हेतु झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन झारखण्ड अधिविद्य परिषद् या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकार द्वारा किया जाएगा, जिसमें सफल अभ्यर्थी "प्रारंभिक विद्यालय (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय)" में नियुक्ति हेतु अहर्ता के पात्र होंगे।

6. झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम अहर्ताएँ निम्नवत् होंगी :

- (क) भारत का नागरिक हो,
(ख) शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्ताएँ :

(i) प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1-5 के लिए)

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो), [जो दिनांक 09.12.2007 या उसके बाद प्रारंभ प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हुए हों,]

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो), जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम-2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। [जो दिनांक 09.12.2007 के पूर्व प्रारंभ प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हो चुके हों]

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा

अथवा

स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)

(ii) उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 6-8 के लिए)

स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (या इसके समकक्ष) या स्नातकोत्तर एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एड.) [जो दिनांक 29.07.2011 के बाद स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित हुए हों]

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (या इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एड.) अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, जो इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। [जो दिनांक 29.07.2011 से पूर्व स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित हुए हों]

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी.ए./बी.एस सी.एड. (BA, B.Sc, B.Ed.) या बी.ए.एड. (BA.Ed.)/बी.एस सी.एड. (BSc,Ed.)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) तथा बी.एड. (विशेष शिक्षा)

अथवा

न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 03 वर्षीय एकीकृत बी.एड.-एम.एड.

परन्तु, राज्य के उच्च प्राथमिक (कक्षा 6-8 के लिए) विद्यालयों में गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा के लिए निम्न विषयों में न्यूनतम स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा-

(i) गणित एवं विज्ञान शिक्षक-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डिग्रियों का विनिर्देशन (Specification of Degrees) के संबंध में जारी अधिसूचना, मार्च-2014 एवं उसके उपरांत में अधिसूचित विज्ञान/अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी/कृषि तथा गणित विषय में से किसी एक में न्यूनतम् 03 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यता धारित करते हों तथा 10+2 या उच्चतर माध्यमिक; गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान एवं जीव विज्ञान में से कम से कम दो विषय के साथ उत्तीर्ण हों।

(ii) "सामाजिक विज्ञान शिक्षक-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डिग्रियों का विनिर्देशन (Specification of Degrees) के संबंध में जारी अधिसूचना, मार्च-2014 एवं उसके उपरांत में अधिसूचित, कला/मानविकी/सामाजिक विज्ञान/वाणिज्य/प्रबंधन विषय में न्यूनतम् 03 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यता धारित करते हों,"

(iii) भाषा शिक्षक- नियमावली के अनुसूची-I में अंकित किसी एक भाषा अथवा हिंदी/अंग्रेजी/संस्कृत/उर्दू भाषा में न्यूनतम तीन वर्षीय स्नातक या स्नातक (प्रतिष्ठा) उत्तीर्ण। इस संबंध में भविष्य में किये गये संशोधन स्वतः इस नियमावली के अंग होंगे।

7. प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5 के लिए) विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य- नियमावली के नियम-6 (ख) (i) में वर्णित +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में प्रशिक्षण के सत्र/वर्ष अनुरूप 50% / 45% अंकों के साथ उत्तीर्णता (09.12.2007 के पूर्व प्रारम्भ प्रशिक्षण सत्र में 45% एवं 09.12.2007 अथवा उसके बाद प्रारम्भ प्रशिक्षण सत्र में 50%) के अतिरिक्त भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से विशेष शिक्षा में निम्नलिखित प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करते हों :-

किसी भी श्रेणी के दिव्यांगता में विशेष शिक्षा में दो वर्षीय D.Ed (XIIth passed and 2 years D.Ed. Special Education in any of the categories of disability)

अथवा

किसी भी दिव्यांगता श्रेणी में एक-वर्षीय विशेष शिक्षा में डिप्लोमा। (XIIth passed and 1 year Diploma in Special Education (DSE) in any of the categories of disability.)

अथवा

सामुदायिक पुनर्वास में डिप्लोमा तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का छः माह Certificate Course (Diploma in Community Based Rehabilitation (DCBR) with 6 months Certificate course in Education of Children with Special Needs.)

अथवा

सामुदायिक पुनर्वास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का छः माह Certificate Course (Post Graduate Diploma in Community Based Rehabilitation (PGDCBR) with 6 months Certificate course in Education of Children with Special Needs.)

अथवा

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का छः माह Certificate Course के साथ Multi Rehabilitation Worker (MRW) में डिप्लोमा (Diploma in Multi Rehabilitation Worker (MRW) with 6 months Certificate course in Education of Children with Special Needs.)

अथवा

बहरापन दिव्यांग को पढ़ाने में कनीय डिप्लोमा (Junior Diploma in Teaching the Deaf.)

अथवा

दृष्टि दोष में प्रारंभिक स्तर का शिक्षक प्रशिक्षण। (Primary level Teacher Training course in Visual Impairment.)

अथवा

(Diploma in Vocational Rehabilitation-Mental Retardation (DVR-MR)/Diploma in Vocational Training and Employment-Mental Retardation (DVTE-MR) with 6 months Certificate course in Education of Children with Special Needs.)

अथवा

(Diploma in Hearing Language and Speech (DHLS) with 6 months Certificate course in Education of Children with special Needs.)

8. उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 8 के लिए) विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य-नियमावली के नियम-6 (ख) (ii) एवं उसके परन्तुक में वर्णित शैक्षणिक योग्यता में प्रशिक्षण सत्र/वर्ष के अनुरूप 50% / 45% अंकों के साथ संबंधित विषय में न्यूनतम तीन वर्षीय स्नातक (29.07.2011 के पूर्व प्रशिक्षण सत्र में 45% एवं 29.07.2011 अथवा उसके बाद प्रारंभ प्रशिक्षण सत्र में 50%) अथवा समकक्ष उत्तीर्ण एवं भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से निम्नांकित प्रशिक्षण योग्यता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी :-

Graduate with B.Ed. (Special Education) from a RCI approved Institute and possess a valid RCI CRR No.

OR

B.Ed. (General) with one year Diploma in Special Education / B.Ed (General) with two years Diploma in Special Education with a recognized qualification (Certificate/Diploma*) from a RCI approved

Institution equivalent to B.Ed. in Special Education and possess a valid RCI CRR No.

OR

B.Ed (General) with Post Graduate Professional Diploma in Special Education (PGPD)/ B.Ed (Special Education) with Post Graduate Professional Certificate in Special Education (PGPC) / (PG Diploma in Special Education (Mental Retardation) / PG Diploma in Special Education (Multiple Disability : Physical & Neurological) / PG Diploma in Special Education (Locomotor Impairment and Cerebral Palsy) / Secondary Level Teacher Training Course in Visual Impairment / Senior Diploma in Teaching the Deaf / BA B.Ed in Visual Impairment.

नोट:-

1. कक्षा 1 से 5 के लिए परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हों एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हों।
 2. शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिन्दु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिन्दु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
 3. विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य के प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिन्दु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिन्दु पर किसी भी विवाद की स्थिति में भारतीय पुनर्वास परिषद् (RCI) के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, कमजोर जनजातीय समूह (पी.भी.टी.जी.) सहित/ पिछड़ा वर्ग-1/अत्यंत पिछड़ा वर्ग-2 एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्रशिक्षण सत्रानुसार, न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
10. (क) अभ्यर्थी संगत पद हेतु प्रावधानित झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने के पूर्व नियम-6 (ख) (i), 6 (ख) (ii), 7 एवं 8 में विनिर्दिष्ट योग्यता के संबंध में स्वयं संतुष्ट हो लेंगे। विज्ञापन प्रकाशित होने के दिन न्यूनतम अहर्ता धारित करना अनिवार्य होगा।

परन्तु निर्धारित/विहित प्रशिक्षण की योग्यता की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे आवेदकों को भी इस शर्त के साथ झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्राप्त होगी कि झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन एवं उसके परिणाम के प्रकाशन के बीच, संबंधित परीक्षा आयोजन प्राधिकार द्वारा निर्धारित तिथि को उनके स्तर से विहित रीति एवं स्थान पर, प्रशिक्षण योग्यता उत्तीर्णता का सत्यापित अंतिम अंक पत्र समर्पित करना होगा, जिससे संबंधित सूचना का प्रकाशन, परीक्षा आयोजन प्राधिकार द्वारा समाचार पत्र में किया जायेगा। एतद् संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं.

5564/2019 में पारित आदेश के आलोक में निर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् का पत्रांक 112852 दिनांक 04.08.2022 प्रभावी होगा।

(ख) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई हो, से तात्पर्य नहीं होगा कि उनकी अर्हता निर्धारित योग्यता के अनुरूप सत्यापित है। उनके अभ्यर्थित्व का अंतिम सत्यापन सहायक आचार्य (वर्ग 01-05 एवं वर्ग 06-08) तथा विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य (वर्ग 01-05 एवं वर्ग 06-08) के लिए निर्गत नियमावली में घोषित नियुक्ति प्राधिकार, संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक के पास सुरक्षित रहेगा।

(ग) कोई भी अभ्यर्थी अपने प्राप्तिक में सुधार के लिए एक से अधिक बार परीक्षा में शामिल हो सकेगा।

(घ) आयु सीमा : झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन वर्ष के 01 अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची द्वारा सरकारी सेवा में निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत होगा।

परन्तु (i) झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची के अंतर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक) जिनकी सेवा परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार दो वर्ष की हो गई हो एवं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत हों की संविदा कर्मी के रूप में कार्य करने की अवधि के बराबर अवधि तक अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जायेगी, जो कि अधिकतम उम्र 58 वर्ष तक मान्य होगा।

(ii) सभी अभ्यर्थियों को पिछली पात्रता परीक्षा एवं आगामी पात्रता परीक्षा के बीच के अंतराल अवधि में एक वर्ष छोड़कर अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान की जायेगी।

उदाहरणस्वरूप— यदि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2016 में होने के उपरांत द्वितीय परीक्षा 2026 में हो, तो एक वर्ष घटाने के उपरांत अधिकतम नौ वर्ष की छूट एकबारीय (One Time) अवसर के रूप में दी जाएगी।

11. झारखंड शिक्षक पात्रता जाँच परीक्षा का स्वरूप निम्नवत् होगा -

(क) पात्रता जाँच परीक्षा के दो स्तर यथा प्राथमिक विद्यालय स्तर एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के होंगे और कोई अभ्यर्थी दोनों स्तर की परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा।

(i.) कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक विद्यालय स्तर

(ii.) कक्षा 6 से 8 के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर

(ख) प्रत्येक स्तर की परीक्षा में एक समेकित प्रश्न पत्र होगा जिसकी परीक्षा अवधि निम्नवत् होगी—

- i) प्राथमिक कक्षा (1 से 5) — 2 घंटा 30 मिनट।
- ii) उच्च प्राथमिक कक्षा (6 से 8) — 2 घंटा 30 मिनट।
- iii) दृष्टि बाधित दिव्यांग, सी.पी. (Cerebral Palsy) दिव्यांग एवं दोनों हाथों से दिव्यांग अभ्यर्थियों को 30 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जायेगा एवं Scribe की व्यवस्था की जाएगी।

(ग) परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों की होगी और इसमें अंकों की ऋणात्मक गणना नहीं की जाएगी।

(घ) कक्षा 1 से 5 के लिए पात्रता जाँच परीक्षा का स्वरूप निम्नवत् होगा :

| खण्ड | विषय | बहु-विकल्पीय प्रश्नों की संख्या | पूर्णांक |
|------|--|---------------------------------|----------|
| I. | बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति (अनिवार्य) | 30 | 30 |
| II. | भाषा-I हिन्दी/संस्कृत/उर्दू/अंग्रेजी में से कोई दो भाषा (सहायक आचार्य (उर्दू)/विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य (उर्दू) के लिए उपर्युक्त में से एक विषय उर्दू का चयन अनिवार्य होगा।) | 30 | 30 |
| III. | भाषा-II नियमावली के अनुसूची-I में उल्लेखित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं में से कोई एक भाषा। | 30 | 30 |
| | गणित | 30 | 30 |
| | पर्यावरण अध्ययन | 30 | 30 |
| कुल— | | 150 | 150 |

नोट: परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों (कक्षा 1 से 5 के लिए) को झारखंड अधिविद्य परिषद, राँची अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा उनकी अर्हता के अनुरूप चयनित किये गये विकल्पों, यथा-सहायक आचार्य (कक्षा 1-5)/विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा 1-5)/दोनों (सहायक आचार्य (कक्षा 1-5) एवं विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा 1-5))/सहायक

आचार्य (उर्दू) (कक्षा 1-5)/विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य (उर्दू) (कक्षा 1-5)/दोनों (सहायक आचार्य (उर्दू) (कक्षा 1-5) एवं विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य (उर्दू) (कक्षा 1-5)) तथा चयनित भाषा-II का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।

(ड़) कक्षा 6 से 8 के लिए निम्नवत् अहर्ता जाँच परीक्षा ली जाएगी :

| खण्ड | विषय | | बहु-विकल्पीय प्रश्नों की संख्या | पूर्णांक | |
|------|----------|------|--|----------|----|
| 1 | अनिवार्य | I. | बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति (अनिवार्य) | 30 | 30 |
| | | II. | भाषा-I हिन्दी/संस्कृत/उर्दू/अंग्रेजी में से कोई दो भाषा (सहायक आचार्य(उर्दू)/विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य (उर्दू) के लिए उपर्युक्त में से एक विषय उर्दू का चयन अनिवार्य होगा।) | 30 | 30 |
| | | III. | भाषा-II नियमावली के अनुसूची-I में उल्लेखित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं में से कोई एक भाषा। | 30 | 30 |
| 2 | वैकल्पिक | IV. | (a) गणित एवं विज्ञान शिक्षक: | | |
| | | | गणित एवं विज्ञान से संबंधित प्रश्न | 50 | 50 |
| | | | कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी | 10 | 10 |
| | | | (b) सामाजिक विज्ञान शिक्षक: | | |
| | | | समाज अध्ययन से संबंधित प्रश्न | 50 | 50 |
| | | | कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी | 10 | 10 |
| | | | (c) भाषा शिक्षक/ अन्य शिक्षक: IV(a) अथवा IV(b) में से कोई एक | | |
| कुल- | 150 | 150 | | | |

नोट: परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों (कक्षा 6 से 8 के लिए) को झारखंड अधिविद्य परिषद्, राँची अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा उनकी

अर्हता के अनुरूप चयनित किए गए विकल्पों, यथा-सहायक आचार्य (कक्षा 6-8)/विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा 6-8)/दोनों (सहायक आचार्य (कक्षा 6-8) एवं विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा 6-8)) सहायक आचार्य (उर्दू) (कक्षा 6-8)/विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य (उर्दू) (कक्षा 6-8)/दोनों (सहायक आचार्य (उर्दू) (कक्षा 6-8) एवं विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य (उर्दू) (कक्षा 6-8)) चयनित भाषा-II तथा चयनित वैकल्पिक विषय (गणित एवं विज्ञान शिक्षक या सामाजिक विज्ञान शिक्षक) का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।

- (च) प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे और परीक्षा का माध्यम हिन्दी या अंग्रेजी होगा। अन्य भाषा विषयों के प्रश्न पत्र संबंधित भाषा में होंगे।
- (छ) प्राथमिक विद्यालय कक्षाओं के शिक्षकों के अर्हता जाँच परीक्षा के प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 1 से 5 के सिलेबस पर आधारित होंगे। किन्तु इसकी कठिनाई का स्तर माध्यमिक/मैट्रिक या समकक्ष होगा।
- (ज) उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षाओं के शिक्षकों के अर्हता जाँच परीक्षा के प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 6 से 8 के सिलेबस पर आधारित होंगे। किन्तु इसकी कठिनाई का स्तर उच्चतर माध्यमिक/+2 या समकक्ष होगा।
- (झ) परीक्षार्थियों से यह अपेक्षा होगी कि संबंधित भाषा एवं उसके व्याकरण की जानकारी हो एवं उस भाषा में वे शुद्ध-शुद्ध अभिव्यक्त कर सकते हों।
- (ञ) परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु निम्नवत् प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा :-

| क्र० | वर्ग | कुल प्राप्तांक न्यूनतम (प्रतिशत) |
|------|--|----------------------------------|
| 1 | सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) | 60 |
| 2 | पिछड़ा वर्ग-1/पिछड़ा वर्ग-2 | 55 |
| 3 | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह/दिव्यांग | 52 |

12. परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकार/परीक्षा प्राधिकार के द्वारा किया जायेगा।
13. परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत परीक्षा प्राधिकार के द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा, जिसकी वैधता आजीवन रहेगी। यह प्रावधान झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा-2013 एवं 2016 के प्रमाण-पत्र पर भी लागू होगा।

14. नियम-11 (ड) के खंड-(2) (iv) के अधीन अंकित क्रमशः (a) एवं (b) श्रेणी में झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत गणित एवं विज्ञान सहायक आचार्य या सामाजिक विज्ञान या भाषा विषय सहायक आचार्य पद के विरुद्ध उसी अनुरूप नियुक्ति की परीक्षा में भाग ले सकेंगे, जैसा कि नियम-11 (ड) के खण्ड-(2) (iv) में वैकल्पिक विषय के रूप में परीक्षा दी है।
15. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर सहायक आचार्य/विशेष शिक्षा सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति का दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा। यह मात्र एक पात्रता जाँच परीक्षा है।
16. शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने वाला प्राधिकार नियमानुसार वार्षिक अथवा द्विवार्षिक अवधि पर परीक्षा आयोजित करने हेतु उत्तरदायी होगा।
17. पात्रता परीक्षा में कदाचार के आरोपित अभ्यर्थी को अगले दो परीक्षा तक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित करने का अधिकार परीक्षा प्राधिकार को होगा।
18. पात्रता परीक्षा से संबंधित सभी अभिलेखों को न्यूनतम सात साल तक सुरक्षित/संघारित करने का दायित्व परीक्षा प्राधिकार का होगा।
19. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं. 1385/2025, ANJUMAN ISHAAT-E-TALEEM TRUST Vs. THE STATE OF MAHARASHTRA & ORS. एवं समरूप वाद में दिनांक 01.09.2025 को सेवारत शिक्षकों के संबंध में शिक्षक पात्रता परीक्षा के लागू होने के संबंध में पारित आदेश के अनुपालन में मानव संसाधन विकास विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय), झारखण्ड सरकार की अधिसूचना सं. 1632 दिनांक 05.09.2012, जिसके द्वारा सर्वप्रथम झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रावधान लागू किया गया था, के पूर्व नियुक्त सहायक शिक्षकों/सहायक अध्यापकों (पारा शिक्षकों), जिनकी सेवावधि दिनांक 01.09.2025 की तिथि को 05 वर्ष से अधिक शेष है अथवा सहायक शिक्षकों, जिनका पदोन्नति (ग्रेड-4 अथवा ग्रेड-7) के विरुद्ध दावा है, भी आयोजित झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लागू स्तर (प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर) में सम्मिलित हो सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा आवश्यक पाए जाने पर, सेवारत सहायक शिक्षकों/सहायक अध्यापकों (पारा शिक्षकों) हेतु पुनः झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा सकेगा।

माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के संबंध में R.P.(C) Diary No. 53434/2025, STATE OF U.P. Vs. ANJUMAN ISHAAT-E-TALEEM TRUST एवं अन्य समरूप 35 पुनर्विचार याचिकाएँ दायर की गयी हैं, जिसमें पारित आदेश से राज्य सरकार का उपर्युक्त निर्णय प्रभावित होगा।

अध्याय-3 अन्यान्य

निरसन एवं व्यावृत्ति :

20. नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी करने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर राज्य सरकार उस कठिनाई को दूर करने के लिये ऐसी कार्रवाई या आदेश पारित कर सकेगी, जो आवश्यक प्रतीत होता हो तथा ऐसी की गयी कार्रवाई या आदेश इस नियमावली के अंग माने जायेंगे।
21. इस नियमावली के प्रभावी होने के तिथि से झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली-2019 (अधिसूचना संख्या-1603 दिनांक 04.10.2019), झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (संशोधन) नियमावली-2022 (अधिसूचना संख्या-253 दिनांक 18.02.2022) एवं झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2024 (अधिसूचना संख्या-783 दिनांक 15.06.2024) को निरसित समझा जायेगा।

परन्तु, ऐसे निरसन के होते हुए भी ऐसे नियमों एवं आदेशों द्वारा या उनको अधीन की गयी कोई कार्रवाई, इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन किया गया था या की गयी समझी जायेगी, मानों यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन वैसा कुछ भी किया गया था या वैसी कार्रवाई की गई थी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(उमा शंकर सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक ५९१ /

राँची, दिनांक 26/03/2026

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना की 600 प्रतियाँ अविलम्ब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) झारखण्ड राँची को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(उमा शंकर सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक ५९१ /

राँची, दिनांक 26/03/2026

प्रतिलिपि :- झारखण्ड राज्य के महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/सभी

जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(उमा शंकर सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 487 /

राँची, दिनांक 26/03/2026

प्रतिलिपि :- विद्वान महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(उमा शंकर सिंह)
सरकार के सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

488
26/03/2026

—: संकल्प :-

विषय : झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली-2026 की स्वीकृति के संबंध में।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23(1) के प्रावधानों के आलोक में प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा की उत्तीर्णता की आवश्यक शर्त के अन्तर्गत राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक परिषद् के पत्रांक-76-4/2010/NCTE/ Acad दिनांक 11.02.2011 के द्वारा निर्गत शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन से संबंधित मार्गनिदेश निर्गत है। पूर्व में अधिसूचना संख्या-1632 दिनांक 05.09.2012 से उक्त परीक्षा के आयोजन हेतु निर्गत नियमावली के आलोक में वर्ष 2013 एवं 2016 में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई।

2. राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन हेतु पुनः अधिसूचना संख्या-1603 दिनांक 04.10.2019 से झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली-2019 निर्गत की गई। इस नियमावली में अधिसूचना संख्या-253 दिनांक 18.02.2022 से प्रथम संशोधन एवं अधिसूचना संख्या-783 दिनांक 15.02.2024 से द्वितीय संशोधन की कार्रवाई की गई। इस आलोक में परीक्षा आयोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या-30/2024 पर विभिन्न स्रोत से कतिपय आपत्ति के आलोक में नियमावली में संशोधन की आवश्यकता उत्पन्न हुई। तदनुसार विज्ञापन संख्या-30/2024 को विभागीय पत्रांक-704 दिनांक 23.05.2025 से रद्द किया गया।

3. यह मामला WP(S) No.-5355/2025 में दिनांक 25.09.2025 को पारित आदेश से आच्छादित है।

4. कंडिका-2 में वर्णित स्थिति में झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली-2026 का प्रारूप तैयार किया गया। झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली-2026 के गठन एवं इससे संबंधित अधिसूचना प्रारूप पर विधि विभाग, वित्त विभाग, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की सहमति प्राप्त है।

5. उक्त नियमावली के गठन के प्रस्ताव एवं अधिसूचना प्रारूप पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।

6. स्वीकृति के आलोक में अधिसूचना संख्या-...487... दिनांक 26.03.2026 निर्गत है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प एवं संलग्न अधिसूचना को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए।

(उमा शंकर सिंह)

सरकार के सचिव।

राँची, दिनांक 26/03/2026

ज्ञापांक : 8/वि.-04/2018.488...

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना की 500 प्रतियाँ अविलंब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

(उमा शंकर सिंह)

सरकार के सचिव।

अनुसूची-I
झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली-2026 के अंतर्गत जनजातीय/क्षेत्रीय भाषाओं की सूची।

| क्र.सं. | जिला का नाम | जनजातीय भाषा | क्षेत्रीय भाषा |
|---------|----------------|--|-------------------------------------|
| 1 | राँची | कुड़ुख (उराँव), मुण्डारी (मुण्डा), खड़िया, भूमिज | नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली, बंगला |
| 2 | लोहरदगा | कुड़ुख (उराँव) | नागपुरी |
| 3 | गुमला | कुड़ुख (उराँव), खड़िया | नागपुरी |
| 4 | सिमडेगा | कुड़ुख (उराँव), मुण्डारी (मुण्डा), खड़िया | नागपुरी |
| 5 | प० सिंहभूम | संथाली, कुड़ुख (उराँव), मुण्डारी (मुण्डा), हो | कुरमाली, उड़िया |
| 6 | पूर्वी सिंहभूम | संथाली, कुड़ुख (उराँव), हो, मुण्डारी, भूमिज | कुरमाली, उड़िया, बंगला |
| 7 | सरायकेला | मुण्डारी (मुण्डा), हो, संथाली, भूमिज | पंचपरगनिया, उड़िया, बंगला, कुरमाली |
| 8 | लातेहार | कुड़ुख (उराँव) | नागपुरी |
| 9 | पलामू | कुड़ुख (उराँव) | नागपुरी |
| 10 | गढ़वा | कुड़ुख (उराँव) | नागपुरी |
| 11 | दुमका | संथाली | खोरठा, बंगला |
| 12 | जामताड़ा | संथाली | खोरठा, बंगला |
| 13 | साहेबगंज | संथाली | खोरठा, बंगला |
| 14 | पाकुड़ | संथाली | खोरठा, बंगला |
| 15 | गोड्डा | संथाली | खोरठा |
| 16 | हजारीबाग | संथाली, कुड़ुख (उराँव) | नागपुरी, खोरठा, कुरमाली |
| 17 | कोडरमा | संथाली | कुरमाली, खोरठा |
| 18 | चतरा | संथाली, कुड़ुख (उराँव), मुण्डारी | नागपुरी, खोरठा |
| 19 | बोकारो | संथाली | नागपुरी, बंगला, कुरमाली, खोरठा |
| 20 | धनबाद | संथाली | नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, बंगला |
| 21 | गिरिडीह | संथाली | खोरठा, कुरमाली |
| 22 | देवघर | संथाली | खोरठा |
| 23 | रामगढ़ | संथाली, कुड़ुख (उराँव) | नागपुरी, कुरमाली, खोरठा |
| 24 | खूँटी | कुड़ुख (उराँव), खड़िया, मुण्डारी | नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली |



JHTET EXAMINATION, 2026 SYLLABUS

झारखण्ड शिक्षक
पात्रता परीक्षा 2026
पाठ्यक्रम

झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम
विषय : भाषा - 2 (जनजातीय भाषा) : कुड़ुख
(परीक्षा-प्रयुक्त लिपि : देवनागरी)

| प्राथमिक स्तर (कक्षा - 1 से 5 हेतु) | |
|-------------------------------------|--|
| क्र. | पाठ्य - वस्तु |
| 1 | कुड़ुख भाषा एवं उराँव समुदाय का प्राथमिक परिचय। |
| 2 | देवनागरी आधारित लेखन-प्रस्तुति, ध्वनि-अक्षर संबंध और उच्चारणानुकूल रूपांतरण। |
| 3 | मूल शब्दावली - परिवार, शरीर, घर, गाँव, प्रकृति, खेती, पशु-पक्षी, संख्या, रंग, दैनिक व्यवहार। |
| 4 | मूल व्याकरण - संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का प्रारम्भिक परिचय। |
| 5 | सरल वाक्य-प्रयोग - अभिवादन, परिचय, प्रश्न-उत्तर, दैनिक व्यवहार और छोटे वाक्य। |
| 6 | लघु पठन-बोध - शब्द, सरल वाक्य, छोटे संवाद और लघु गद्यांश। |
| 7 | आधारभूत लेखन - शब्द-लेखन, चित्राधारित उत्तर, रिक्त-पूर्ति, मिलान और एक-दो पंक्ति उत्तर। |
| 8 | लोकगीत, लोककथा, पहेली और लोकोक्ति का प्राथमिक परिचय। |
| 9 | भाषा, संस्कृति और स्थानीय जीवन का प्राथमिक परिचय। |
| 10 | राष्ट्रीय शिक्षा नीति'2020 में जनजातीय भाषा से जुड़े प्रावधान। |

| उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा - 6 से 8 हेतु) | |
|--|---|
| क्र. | पाठ्य - वस्तु |
| 1 | कुड़ुख भाषा, नाम-रूप, भाषिक पृष्ठभूमि, झारखंडी संदर्भ और समुदाय-संबंध का परिचय। |
| 2 | देवनागरी प्रस्तुतीकरण, ध्वनि-लिपि संबंध, उच्चारण और वर्तनी। |
| 3 | शब्द-संपदा एवं व्यावहारिक प्रयोग। |
| 4 | व्याकरण का क्रियात्मक अध्ययन - संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया-विशेषण, वचन, कारक/विभक्ति-चिह्न, काल/रूप, उपसर्ग और प्रत्यय। |
| 5 | वाक्य-रचना, प्रश्नात्मक, निषेधात्मक और आज्ञार्थक प्रयोग शुद्ध अभिव्यक्ति। |
| 6 | गद्यांश/संवाद आधारित पठन-बोध, शब्दार्थ और भाव-बोध। |
| 7 | हिंदी-कुड़ुख तथा कुड़ुख-हिंदी लघु अनुवाद 3-5 वाक्य की लघु अभिव्यक्ति। |
| 8 | लोकसाहित्य, मौखिक परंपरा और सामुदायिक सांस्कृतिक संदर्भ। |
| 9 | लिखित साहित्य का सामान्य परिचय - कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास और लघु गद्यरूप। |
| 10 | बहुभाषी कक्षा में कुड़ुख भाषा-शिक्षण की आधारभूत प्रासंगिकता। |
| 11 | राष्ट्रीय शिक्षा नीति'2020 में जनजातीय भाषा से जुड़े प्रावधान। |

N. Rami
14/03/2026

[Signature]

[Signature]
14/03/26

Mamildar
14/03/26

[Signature]
14/03/26

[Signature]

झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम
विषय : भाषा - 2 (जनजातीय भाषा) : मुण्डारी
(परीक्षा-प्रयुक्त लिपि : देवनागरी)

| प्राथमिक स्तर (कक्षा - 1 से 5 हेतु) | |
|-------------------------------------|--|
| क्र. | पाठ्य - वस्तु |
| 1 | मुण्डारी भाषा का सामान्य परिचय, सामान्य मौखिक प्रयोग तथा दैनिक जीवन से संबद्ध मूल शब्दावली। |
| 2 | देवनागरी में मुण्डारी की परीक्षा-प्रस्तुति, ध्वनि-जागरुकता, वर्ण/अक्षर तथा मूल वर्तनी-बोध। |
| 3 | सरल शब्द, वाक्य तथा कक्षा एवं सामाजिक व्यवहार में प्रयुक्त अभिव्यक्तियाँ। |
| 4 | आधारभूत व्याकरण-संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, कारक का प्रारंभिक प्रयोग। |
| 5 | लोकगीत, लोककथा, पहेली, लोकोक्ति/मुहावरे तथा बाल-उपयोगी लोक-अभिव्यक्तियों का प्रारंभिक परिचय। |
| 6 | छोटे गद्यांशों पर आधारित पठन-पाठबोध, शब्दार्थ, मुख्य भाव और सरल प्रश्नोत्तर। |
| 7 | शब्द-लेखन, सरल वाक्य-लेखन, लघु अनुच्छेद, चित्र-वर्णन तथा प्रारंभिक लिखित अभिव्यक्ति। |
| 8 | प्रमुख पर्व-त्योहारों, सामुदायिक जीवन और सांस्कृतिक संदर्भों का प्राथमिक परिचय। |
| 9 | राष्ट्रीय शिक्षा नीति'2020 में जनजातीय भाषा से जुड़े प्रावधान। |


N. Rami
14.03.2026




14/03/26

Mandak
14/03/26


14/03/26



झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम
विषय : भाषा - 2 (जनजातीय भाषा) : मुण्डारी
(परीक्षा-प्रयुक्त लिपि : देवनागरी)

| उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा - 6 से 8 हेतु) | |
|--|---|
| क्र. | पाठ्य - वस्तु |
| 1 | मुण्डारी भाषा एवं साहित्य का इतिहास-ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उद्भव-विकास, नामकरण, लेखन-परंपरा, क्षेत्र-विस्तार, विशेषताएँ तथा काल-विभाजन। |
| 2 | लोकसाहित्य-लोकगीत, लोककथा, लोकगाथा, लोकनाट्य तथा अन्य लोक-अभिव्यक्तियाँ। |
| 3 | व्याकरण - ध्वनि, अक्षर, लिपि, शब्द, वाक्य, वर्तनी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया-विशेषण, लिंग, कारक, वचन, काल, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, पर्यायवाची तथा भिन्नार्थक शब्द। |
| 4 | प्रतिनिधि कवियों तथा काव्य-अभिव्यक्ति का सामान्य परिचय। |
| 5 | प्रतिनिधि साहित्यकारों एवं उनकी प्रमुख कृतियों का सामान्य परिचय। |
| 6 | गद्य-विधाएँ-कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, जीवनी, आलोचना का सामान्य परिचय। |
| 7 | भाषा-विज्ञान का सामान्य परिचय तथा मुण्डारी की भाषिक विशेषताओं का मूल बोध। |
| 8 | काव्य के विविध रूप-महाकाव्य, खंडकाव्य, गीतिकाव्य रस, छंद तथा अलंकार का मूल परिचय। |
| 9 | मुण्डारी पत्र-पत्रिकाओं एवं भाषिक विकास का सामान्य परिचय। |
| 10 | लेखन एवं प्रारूपण-पत्र, आवेदन, कार्यालयी पत्र-व्यवहार, संपादकीय पत्र तथा हिंदी/अंग्रेजी से मुण्डारी एवं मुण्डारी से हिंदी/अंग्रेजी में सामान्य अनुवाद। |
| 11 | समाज, संस्कार, संस्कृति तथा प्रमुख पर्व-त्योहारों का सामान्य परिचय। |
| 12 | गद्य/पद्यांशों पर आधारित पाठबोध, भावार्थ, शब्द-प्रयोग तथा बहुभाषिक विद्यालयी संदर्भ में मुण्डारी भाषा की शिक्षण-प्रासंगिकता। |
| 13 | राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जनजातीय भाषा से जुड़े प्रावधान। |

N. Rani
14.03.2026

14/03/26

14/03/26

Mamitalsan
14/03/26

14/03/26

14/03/26

झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

विषय : भाषा - 2 (जनजातीय भाषा) : हो

(परीक्षा-प्रयुक्त लिपि : देवनागरी)

| प्राथमिक स्तर (कक्षा - 1 से 5 हेतु) | |
|-------------------------------------|--|
| क्र. | पाठ्य - वस्तु |
| 1 | हो भाषा एवं हो समुदाय का परिचय। |
| 2 | देवनागरी आधारित लेखन-प्रस्तुति तथा उच्चारणानुकूल रूपांतरण। |
| 3 | मूल शब्दावली - परिवार, शरीर, घर, गाँव, खेती, जंगल, पशु-पक्षी, संख्या, रंग, दैनिक व्यवहार। |
| 4 | मूल व्याकरण - संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एवं सरल वाक्य-रचना का प्रारंभिक परिचय। |
| 5 | सरल वाक्य-प्रयोग - अभिवादन, परिचय, प्रश्न-उत्तर, दैनिक व्यवहार। |
| 6 | लघु पठन-बोध - शब्द, सरल वाक्य, छोटे संवाद एवं लघु गद्यांश। |
| 7 | आधारभूत लेखन - शब्द-लेखन, चित्र-आधारित उत्तर, रिक्त-पूर्ति, जोड़ियाँ, एक-दो पंक्ति उत्तर। |
| 8 | लोकगीत, लोककथा, मौखिक परंपरा एवं स्थानीय संस्कृति का परिचय। |
| 9 | नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में मातृभाषा-आधारित प्रारंभिक अधिगम - हो भाषा में संवाद, गीत, कहानी और स्थानीय अनुभवों से सीखना। |

| उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा - 6 से 8 हेतु) | |
|--|--|
| क्र. | पाठ्य - वस्तु |
| 1 | हो भाषा, भाषिक क्षेत्र एवं समुदाय-संदर्भ का परिचय। |
| 2 | देवनागरी आधारित लेखन-प्रस्तुति एवं रूपांतरण। |
| 3 | विस्तृत शब्दावली एवं व्यावहारिक प्रयोग। |
| 4 | व्याकरण का क्रियात्मक अध्ययन - ध्वनि, शब्द, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कारक, काल। |
| 5 | गद्यांश/संवाद आधारित पठन-बोध। |
| 6 | हिंदी-हो शब्द/वाक्यांश रूपांतरण तथा लघु अभिव्यक्ति। |
| 7 | लोकसाहित्य, मौखिक परंपरा, सांस्कृतिक संदर्भ एवं हो साहित्य का सामान्य परिचय। |
| 8 | नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में बहुभाषिक कक्षा, द्विभाषिक सामग्री और स्थानीय/जनजातीय ज्ञान पर आधारित हो भाषा-शिक्षण। |

N. Rani
14.03.2026

[Signature]

[Signature]
14/03/26Manudeka
14/03/26[Signature]
14/03/26

[Signature]

झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम
विषय : भाषा - 2 (जनजातीय भाषा) : खड़िया
(परीक्षा-प्रयुक्त लिपि : देवनागरी)

| प्राथमिक स्तर (कक्षा - 1 से 5 हेतु) | |
|-------------------------------------|--|
| क्र. | पाठ्य - वस्तु |
| 1 | खड़िया भाषा का परिचय, नामकरण, क्षेत्रीय उपस्थिति तथा प्रमुख विशेषताएँ। |
| 2 | देवनागरी-आधारित प्रस्तुति, ध्वनि, अक्षर, उच्चारण तथा मूल वर्तनी। |
| 3 | मूल शब्दावली, दैनिक जीवन में भाषिक प्रयोग तथा सरल वाक्य-रचना। |
| 4 | मूल व्याकरण - संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन तथा काल का प्रारंभिक ज्ञान। |
| 5 | सरल पठन-बोध, वाक्य-पूर्ति, लघु लिखित अभिव्यक्ति तथा भाषा-प्रयोग। |
| 6 | लोकगीत, लोककथा, लोकोक्ति, मुहावरे, पहेली तथा लोक-परंपराओं का प्राथमिक परिचय। |
| 7 | भाषा, समाज और संस्कृति का सामान्य परिचय। |
| 8 | राष्ट्रीय शिक्षा नीति'2020 में जनजातीय भाषा से जुड़े प्रावधान। |


| उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा - 6 से 8 हेतु) | |
|--|---|
| क्र. | पाठ्य - वस्तु |
| 1 | खड़िया भाषा का उद्भव-विकास, नामकरण, क्षेत्र-विस्तार, वर्गीकरण तथा प्रमुख विशेषताएँ। |
| 2 | ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ, वर्तनी तथा देवनागरी-आधारित लिपि-प्रयोग के आधारभूत बिंदु। |
| 3 | व्याकरण - संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया-विशेषण, लिंग, कारक, वचन, काल, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, पर्यायवाची तथा श्रुतिसम-भिन्नार्थक शब्द। |
| 4 | पठन-बोध, गद्य/पद्य आधारित प्रश्न, भावार्थ या सार-ग्रहण तथा सरल लेखन। |
| 5 | खड़िया लोक-साहित्य - लोकगीत, लोककथा, लोकगाथा, लोक-परंपराएँ, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, पहेलियाँ तथा सामुदायिक सांस्कृतिक सामग्री का सामान्य परिचय। |
| 6 | खड़िया साहित्य का संक्षिप्त इतिहास - ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, लेखन-परंपरा तथा काल-विभाजन का सामान्य अवलोकन। |
| 7 | प्रमुख कवि, साहित्यकार एवं उनकी प्रतिनिधि कृतियों का सामान्य परिचय। |
| 8 | प्रमुख गद्य, काव्य तथा अन्य साहित्यिक विधाओं का संक्षिप्त अवलोकन। |
| 9 | खड़िया भाषा-विज्ञान का प्रारंभिक परिचय - भाषा/बोली अंतर, भाषा-परिवर्तन, ध्वनि, पद, वाक्य, अर्थ तथा लिपि-संबंधी पक्ष। |
| 10 | खड़िया पत्र-पत्रिकाओं का परिचय, प्रमुख तथ्य तथा क्रमिक विकास। |
| 11 | विद्यालयी भाषा-शिक्षण में खड़िया के प्रयोग, स्थानीय लोक-सामग्री तथा पठन-लेखन की उपयोगिता। |
| 12 | राष्ट्रीय शिक्षा नीति'2020 में जनजातीय भाषा से जुड़े प्रावधान। |


N. Rani
14.03.2026




14/03/26

Manilal
14/03/26


14/03/26



झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम
विषय : भाषा - 2 (जनजातीय भाषा) : संताली
(परीक्षा-प्रयुक्त लिपि : देवनागरी)

| प्राथमिक स्तर (कक्षा - 1 से 5 हेतु) | |
|-------------------------------------|--|
| क्र. | पाठ्य - वस्तु |
| 1 | संताली भाषा का सामान्य परिचय, देवनागरी आधारित उत्तर-प्रस्तुति और सरल मौखिक परिचय। |
| 2 | ध्वनि, शब्द-पहचान, मूल शब्दावली, दैनिक भाषा-प्रयोग और सरल वाक्य। |
| 3 | संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया का परिचय लिंग, वचन, पुरुष की आधारभूत समझ। |
| 4 | श्रवण-बोलना, छोटे गद्य/गीत का पठन-बोध, चित्र-आधारित प्रश्नोत्तर। |
| 5 | शब्द, वाक्य और 2-3 पंक्तियों तक का सरल लेखन। |
| 6 | बाल-उपयुक्त लोकगीत, लोककथा, कहावत, पहेली और स्थानीय सांस्कृतिक सामग्री। |
| 7 | संताल समुदाय, पर्व-त्योहार और स्थानीय जीवन-संदर्भ का सरल परिचय। |
| 8 | संताली-हिंदी सरल शब्द-सेतु और स्थानीय संसाधनों पर आधारित भाषा-अधिगम। |
| 9 | नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में मातृभाषा-आधारित प्रारंभिक अधिगम - संताली भाषा में संवाद, गीत, कहानी और स्थानीय अनुभवों से सीखना। |

| उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा - 6 से 8 हेतु) | |
|--|--|
| क्र. | पाठ्य - वस्तु |
| 1 | संताली भाषा का उद्भव, विकास, भाषिक क्षेत्र, भाषा-समुदाय संबंध और भाषा-परिवार का सामान्य परिचय। |
| 2 | देवनागरी आधारित उत्तर-प्रस्तुति, वर्तनी-सावधानी और स्पष्ट अभिव्यक्ति। |
| 3 | व्याकरण का कार्यात्मक अध्ययन - संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, उपसर्ग, प्रत्यय और वाक्य-रचना। |
| 4 | पर्याय, विलोम, लोकोक्ति, मुहावरे, पहेलियाँ और व्यावहारिक शब्द-संपदा। |
| 5 | गद्य एवं पद्यांश का पठन-बोध, भावार्थ, सार, शीर्षक-बोध और प्रश्नोत्तर। |
| 6 | अनुच्छेद, पत्र, आवेदन, रिपोर्ट, संक्षेपण, सरल अनुवाद और वाक्कला। |
| 7 | लोकसाहित्य, लोकगीत, लोककथा, लोकसंस्कृति और सांस्कृतिक सामग्री का सामान्य अध्ययन। |
| 8 | संताली साहित्य के इतिहास की रूपरेखा तथा कविता, कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास आदि साहित्य-विधाओं का प्रतिनिधि परिचय। |
| 9 | सामान्य भाषा-विज्ञान, संताली भाषा-विज्ञान और तुलनात्मक भाषिक दृष्टि। |
| 10 | समुदाय, आदिवासी/भारतीय साहित्य संबंध, स्थानीय सामग्री का वर्ग संचालन के क्रम में उपयोग और बहुभाषिक कक्षा-प्रासंगिकता। |
| 11 | नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में मातृभाषा-आधारित प्रारंभिक अधिगम - संताली भाषा में संवाद, गीत, कहानी और स्थानीय अनुभवों से सीखना। |

N. Rani
14.03.2026

[Signature]

[Signature]
14/03/26

[Signature]
14/03/26

[Signature]
14/03/26

[Signature]

झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम
विषय : भाषा - 2 (जनजातीय भाषा) : भूमिज
(परीक्षा-प्रयुक्त लिपि : देवनागरी)

प्राथमिक स्तर (कक्षा - 1 से 5 हेतु)

| क्र. | पाठ्य - वस्तु |
|------|--|
| 1 | भाषा-परिचय एवं भाषिक समुदाय - भूमिज भाषा का सामान्य परिचय, स्थानीय/सामुदायिक प्रयोग तथा प्रारंभिक भाषिक जागरूकता। |
| 2 | परीक्षा-उपयोग लिपि, प्रारंभिक वर्ण-जागरूकता एवं संख्याज्ञान - देवनागरी प्रस्तुतीकरण, प्रारंभिक वर्ण-ध्वनि संबंध तथा मूल संख्याओं की पहचान। |
| 3 | प्रारंभिक शब्दावली - अभिवादन, परिचय, परिवार, शरीर, भोजन, घर, ग्राम, प्रकृति, संख्या, समय तथा दैनिक वस्तुओं से संबंधित शब्दावली। |
| 4 | मूल भाषा-प्रयोग एवं प्रारंभिक व्याकरण - संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया की प्रारंभिक पहचान सरल प्रश्न, नकार तथा आदेशात्मक प्रयोग। |
| 5 | शब्द-से-वाक्य, संवाद एवं पठन - छोटे वाक्य, मिलान, रिक्त-स्थान, चित्राधारित अर्थ, छोटे संवाद तथा सरल पठन-बोध। |
| 6 | बाल-उन्मुख लोकसामग्री एवं प्रारंभिक शिक्षण-प्रासंगिकता - छोटी कथाएँ, गीत, पहेलियाँ, मौखिक परंपरा और मातृभाषा-आधारित आरंभिक कक्षा उपयोग। |
| 7 | राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जनजातीय भाषा से जुड़े प्रावधान। |

उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा - 6 से 8 हेतु)

| क्र. | पाठ्य - वस्तु |
|------|---|
| 1 | भाषा-परिचय, क्षेत्र एवं भाषिक संदर्भ - भूमिज का सामान्य भाषिक-संदर्भ, क्षेत्रीय/सामुदायिक उपयोग तथा संबंधित भाषिक परिवेश का परिचय। |
| 2 | देवनागरी प्रस्तुतीकरण, उच्चारण एवं वर्तनी-सामान्यीकरण - परीक्षा-उपयोग देवनागरी, उच्चारण-जागरूकता तथा वर्तनी की एकरूपता। |
| 3 | विषयगत शब्द-भंडार - बाजार, ग्राम-जीवन, पानी, भूमि, जंगल, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत, यातायात तथा पशु-पक्षी से संबंधित शब्दावली। |
| 4 | कार्यात्मक व्याकरण - शब्द-भेद की कार्यात्मक पहचान, सर्वनाम-प्रयोग, क्रिया-प्रयोग, मूल शब्द-रूप जागरूकता तथा वाक्य-क्रम। |
| 5 | वाक्यरचना एवं व्यावहारिक प्रयोग - कथन, प्रश्न, नकार, आदेश, वाक्य-पूर्ति, वाक्य-सुधार तथा संदर्भानुसार प्रयोग। |
| 6 | पठन-बोध एवं लघु रूपांतरण - लघु गद्यांश/संवाद, शब्दार्थ, भावार्थ, संदर्भानुसार उत्तर तथा हिंदी-भूमिज के छोटे रूपांतरण। |
| 7 | लोकसाहित्य, बालसाहित्य एवं संस्कृति - लोककथा, लोकगीत, पहेलियाँ, बालसाहित्य, पर्व-त्योहार तथा सामुदायिक जीवन का सामान्य परिचय। |
| 8 | भाषा-शिक्षण की प्रासंगिकता - मातृभाषा/स्थानीय भाषा का उपयोग, मौखिक से लिखित प्रगति, बहुभाषिक सेतु तथा कहानी/गीत/चित्र आधारित शिक्षण। |
| 9 | राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जनजातीय भाषा से जुड़े प्रावधान। |

N.Rami
14.03.2026

14/03/26

14/03/26

Mani/14/03/26

14/03/26

14/03/26

झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम
विषय : भाषा - 2 (क्षेत्रीय भाषा) : नागपुरी
(परीक्षा-प्रयुक्त लिपि : देवनागरी)

| प्राथमिक स्तर (कक्षा - 1 से 5 हेतु) | |
|-------------------------------------|---|
| क्र. | पाठ्य - वस्तु |
| 1 | नागपुरी भाषा का सामान्य परिचय, क्षेत्र-विस्तार एवं भाषिक पहचान। |
| 2 | देवनागरी-आधारित लेखनरूप, ध्वनि, उच्चारण एवं वर्तनी। |
| 3 | मूल व्याकरण - संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, क्रिया का प्राथमिक प्रयोग। |
| 4 | सरल वाक्य-रचना, शब्द-प्रयोग, प्राथमिक भाषा-दक्षता। |
| 5 | लघु पठन-बोध, शब्दार्थ, भावार्थ, कहावत/लोकोक्ति/मुहावरे का प्रारंभिक परिचय। |
| 6 | अनुच्छेद, संवाद, सरल पत्र/लघु लिखित अभिव्यक्ति। |
| 7 | लोकगीत, लोककथा, पहेली, कहावत एवं लोकजीवन से संबंधित प्राथमिक सांस्कृतिक परिचय। |
| 8 | प्राथमिक विद्यालयी उपयोग के अनुरूप श्रवण, पठन, मौखिक एवं लिखित सरल अभिव्यक्ति। |
| 9 | नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में मातृभाषा-आधारित प्रारंभिक अधिगम - नागपुरी भाषा में संवाद, गीत, कहानी और स्थानीय अनुभवों से सीखना। |

| उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा - 6 से 8 हेतु) | |
|--|---|
| क्र. | पाठ्य - वस्तु |
| 1 | नागपुरी भाषा का परिचय, उद्भव-विकास, क्षेत्र-विस्तार एवं भाषिक स्थिति। |
| 2 | देवनागरी-आधारित लेखनरूप, ध्वनि, उच्चारण, वर्तनी एवं शुद्ध भाषा-प्रयोग। |
| 3 | व्याकरण - संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, क्रिया, काल, वाक्य, वाक्य-रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। |
| 4 | पठन-बोध, शब्दार्थ, भावार्थ, मुहावरा, लोकोक्ति, कहावत एवं भाषा-प्रयोग। |
| 5 | लेखन एवं संप्रेषण - वाक्य-निर्माण, अनुच्छेद, संवाद, पत्रधारापण, संक्षिप्त लिखित एवं मौखिक अभिव्यक्ति। |
| 6 | लोक साहित्य - लोकगीत, लोककथा, लोकगाथा, लोकनाट्य, पहेली एवं मौखिक परंपरा। |
| 7 | साहित्य-विधा परिचय - पद्य, कहानी, नाट्य, निबंध, उपन्यास एवं नयी विधाएँ। |
| 8 | नागपुरी भाषा-विज्ञान एवं सामान्य भाषा-विज्ञान का परिचयात्मक अध्ययन। |
| 9 | झारखंडीय संदर्भ, भारतीय एवं आदिवासी साहित्य में अंतर्संबंध का सामान्य परिचय। |
| 10 | विद्यालयी भाषा-प्रयोग की दृष्टि से नागपुरी, समझ व्याकरण और अभिव्यक्ति की उपयुक्त समझ। |
| 11 | नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में बहुभाषिक कक्षा, द्विभाषिक सामग्री और स्थानीय/क्षेत्रीय ज्ञान पर आधारित नागपुरी भाषा-शिक्षण। |

Mamitabson
14/03/2026

14/03/2026

N. Rami
14.03.2026

14/03/26

14.03.26

14.03.26

झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

विषय : भाषा - 2 (क्षेत्रीय भाषा) : पंचपरगनिया

(परीक्षा-प्रयुक्त लिपि : देवनागरी)

| प्राथमिक स्तर (कक्षा - 1 से 5 हेतु) | |
|-------------------------------------|--|
| क्र. | पाठ्य - वस्तु |
| 1 | भाषा-परिचय एवं भाषिक पहचान - पंचपरगनिया का सामान्य परिचय, क्षेत्रीय प्रसार, भाषिक समुदाय, लोक एवं शिष्ट साहित्य का प्रारंभिक बोध। |
| 2 | लिपि, ध्वनि एवं वर्तनी - देवनागरी प्रस्तुति, स्वर-व्यंजन, उच्चारण, ध्वनि-वर्ण संबंध, शुद्ध लेखन की प्रारंभिक समझ। |
| 3 | मूल व्याकरण - संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, क्रिया, काल, अव्यय, सरल वाक्य-रचना। |
| 4 | शब्दावली एवं व्यावहारिक प्रयोग - दैनिक जीवन की शब्दावली, सरल वाक्य, प्रश्नोत्तर, वाक्य-शुद्धि, सामान्य मुहावरे/लोकोक्तियाँ। |
| 5 | लोकसाहित्य एवं मौखिक परंपरा - लोकगीत, लोककथा, लोकगाथा, पहेली, लोकोक्ति, मुहावरा, खेलगीत। |
| 6 | पठन-बोधन, लेखन एवं सरल रूपांतरण - सरल गद्यध्रुव बोध, मुख्य भाव, शब्दार्थ, चित्र-वर्णन, लघु अनुच्छेद, संवाद, सरल भावांतरण। |
| 7 | भाषा-शिक्षण प्रासंगिकता - मातृभाषा आधारित शिक्षण, श्रवण-भाषण गतिविधियाँ, चित्र-आधारित भाषा-अधिगम, प्रारंभिक त्रुटि-सुधार। |
| 8 | नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में मातृभाषा-आधारित प्रारंभिक अधिगम - पंचपरगनिया भाषा में संवाद, गीत, कहानी और स्थानीय अनुभवों से सीखना। |

Mamta
14/03/2026N. Rani
14/03/2026N. Rani
14.03.2026N. Rani
14.03.26N. Rani
14.03.26N. Rani
14.03.26

झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम
विषय : भाषा - 2 (क्षेत्रीय भाषा) : पंचपरगनिया

(परीक्षा-प्रयुक्त लिपि : देवनागरी)

उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा - 6 से 8 हेतु)

| क्र. | पाठ्य - वस्तु |
|------|--|
| 1 | भाषा का स्वरूप, इतिहास एवं प्रसार - उद्भव-विकास, क्षेत्रीय प्रसार, भाषिक संपर्क, सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ। |
| 2 | उन्नत व्याकरण एवं वाक्य-विन्यास - शब्द-भेद, कारक, क्रिया, वाच्य, काल, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, वाक्य-शुद्धि। |
| 3 | भाषा-विज्ञान का प्रारंभिक परिचय - भाषा, भाषा-विज्ञान, ध्वनि-विज्ञान, पद-विज्ञान, वाक्य-विज्ञान, अर्थ-विज्ञान, कोश-विज्ञान, लिपि। |
| 4 | लोकसाहित्य का विस्तृत अध्ययन - परिभाषा, वर्गीकरण, विशेषताएँ, महत्वय लोकगीत, लोकगाथा, लोककथा, लोकनाट्य, लोकनृत्य, प्रकीर्ण लोकसाहित्य। |
| 5 | साहित्यिक विधाओं का परिचय - पद्य, कहानी, नाटक, निबंध, नई विधाएँ, उपन्यास का सामान्य परिचय। |
| 6 | भारतीय, झारखंडी एवं आदिवासी साहित्यिक-सांस्कृतिक संदर्भ - भारतीय साहित्य का सामान्य बोध, भारतीय एवं आदिवासी साहित्य का अंतर्संबंध, झारखंड-जागरण/नवजागरण का परिचय, भाषा-संस्कृति संबंध। |
| 7 | पठन, विवेचन, लेखन, प्रारूपण एवं वाक् कला - बोध, समझ, सार, अनुच्छेद, निबंध, आवेदन/पत्र, प्रारूपण, भावांतरण, मौखिक अभिव्यक्ति। |
| 8 | भाषा-शिक्षण एवं बहुभाषिक कक्षा-प्रयोग - स्थानीय भाषा का सेतु उपयोग, चारों भाषाई कौशलों का विकास, कक्षा संचार, आकलन मूल बातें, उच्च प्राथमिक शिक्षाशास्त्र। |
| 9 | नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में बहुभाषिक कक्षा, द्विभाषिक सामग्री ज्ञान पर आधारित पंचपरगनिया भाषा-शिक्षण। |


Mam Valsu
14/03/2026


14/03/2026

N. Rani
14.03.2026



Elgamm
14.03.26



ঝাড়খণ্ড শিক্ষক যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষার জন্য পাঠ্যক্রম
বিষয় : ভাষা -২ (আঞ্চলিক ভাষা) : বাংলা লিপি : বাংলা
প্রাথমিক স্তর (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি)

| ক্রম | পাঠ্যবিষয় |
|------|---|
| ১ | ভাষা-বোধ: অপঠিত গদ্যাংশ ও পদ্যাংশ |
| ২ | বাংলা ভাষার প্রধান প্রধান সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের পরিচয়: (নাম, ছদ্মনাম, উপাধি, বিখ্যাত রচনা, বিখ্যাত উক্তি ও বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্তি - পরিচয়) |
| ৩ | ব্যাকরণ: বর্ণপরিচয়, কারচিহ্ন, অক্ষর ও মাত্রা, বর্ণ-বিশ্লেষণ, পদ-পরিচয় ও পদান্তর, ক্রিয়ার কাল, কারক ও বিভক্তি, বাক্যের শ্রেণিবিভাগ, সন্ধি, শব্দার্থ, বিপরীত শব্দ, সমার্থক শব্দ, লিঙ্গ, বচন, পুরুষ, সাধু ও চলিত ভাষা, এক কথায় প্রকাশ, প্রবাদ-প্রবচন, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বানান এবং সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ। |
| ৪ | বাংলা ভাষা শিক্ষণ পদ্ধতি: ভাষা শেখার পদ্ধতি, ভাষা দক্ষতা (শ্রবণ, কথন, পঠন ও লেখন), ভাষা শেখানোর সমস্যা ও সমাধান, ভাষা শেখানোর কৌশল, শিশুদের ভাষা-বিকাশ, পাঠ-পরিকল্পনা, ভাষা মূল্যায়ণ পদ্ধতি। |
| ৫ | রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এ আঞ্চলিক ভাষা সংক্রান্ত বিধান। |

উচ্চ-প্রাথমিক স্তর (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি)

| ক্রম | পাঠ্যবিষয় |
|------|---|
| ১ | ভাষা-বোধ: অপঠিত গদ্যাংশ ও পদ্যাংশ |
| ২ | বাংলা ভাষার প্রধান প্রধান সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের পরিচয়: (নাম, ছদ্মনাম, উপাধি, বিখ্যাত রচনা ও চরিত্র, বিখ্যাত উক্তি ও বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্তি - পরিচয়) |
| ৩ | ব্যাকরণ: ধ্বনি ও বর্ণ, বর্ণ-বিশ্লেষণ, কারচিহ্ন, অক্ষর ও মাত্রা, সাধু ও চলিত ভাষা, ভাষা ও উপভাষা, পদ-পরিচয় ও পদান্তর, ক্রিয়ার কাল, কারক ও বিভক্তি, সন্ধি, সমাস, বিপরীত শব্দ, সমার্থক শব্দ, লিঙ্গ, বচন, পুরুষ, এক কথায় প্রকাশ, সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ, উপসর্গ ও অনুসর্গ, প্রত্যয়, প্রবাদ-প্রবচন ও বাংলা শব্দ ভাণ্ডার। বাক্য ও ভাষা ব্যবহার : বাক্যের প্রকারভেদ, বাক্য-পরিবর্তন, বাচ্য পরিবর্তন, শুদ্ধ বানান, অশুদ্ধি সংশোধন। |
| ৪ | বাংলা ভাষা-শিক্ষণ পদ্ধতি: ভাষা শেখার তত্ত্ব, ভাষা-দক্ষতা (শ্রবণ, কথন, পঠন ও লেখন), শিশুদের ভাষা-বিকাশ, ভাষা শেখানোর পদ্ধতি, পাঠ-পরিকল্পনা, ভাষা শিক্ষায় মূল্যায়ণ পদ্ধতি, ভাষা শেখার সমস্যা ও সমাধান, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা (Inclusive Education), শিক্ষণ-শিখন উপকরণ(TLM)। |
| ৫ | রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এ আঞ্চলিক ভাষা সংক্রান্ত বিধান। |

Mam
14/03/2026

14/03/2026

N. Rani
14-03-2026

14-03-26

झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

विषय : भाषा - 2 (क्षेत्रीय भाषा) : ओड़िया

| प्राथमिक स्तर (कक्षा - 1 से 5 हेतु) | |
|-------------------------------------|--|
| क्र. | पाठ्य - वस्तु |
| 1 | उड़िया भाषा, उड़िया लिपि एवं बुनियादी उच्चारण का परिचय। |
| 2 | वर्ण-विन्यास, शुद्धलेखन तथा प्रारंभिक शब्द-रचना। |
| 3 | मूल शब्दावली - परिवार, विद्यालय, घर, प्रकृति, संख्या, रंग, दैनिक व्यवहार। |
| 4 | सरल व्याकरण - संज्ञा, शब्द-रूप, प्रारंभिक संधि-जागरुकता, शब्द-शुद्धता। |
| 5 | सरल वाक्य-प्रयोग - अभिवादन, परिचय, प्रश्न-उत्तर, दैनिक व्यवहार। |
| 6 | लघु पठन-बोध - शब्द, सरल वाक्य, लघु गद्यांश तथा सरल पद्यांश। |
| 7 | आधारभूत लेखन - अनुच्छेद, चित्र-आधारित उत्तर, रिक्त-पूर्ति, छोटे उत्तर। |
| 8 | लोकगीत, बाल-उपयुक्त पद्य, कथा एवं सांस्कृतिक सन्दर्भ का परिचय। |
| 9 | श्रवण, वाचन तथा मौखिक अभिव्यक्ति का प्रारंभिक अभ्यास। |
| 10 | मातृभाषा/स्थानीय भाषा आधारित प्रारंभिक अधिगम, द्विभाषीय ब्रिज तथा कक्षानुकूल भाषा-प्रयोग। |
| 11 | नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में मातृभाषा-आधारित प्रारंभिक अधिगम - ओड़िया भाषा में संवाद, गीत, कहानी और स्थानीय अनुभवों से सीखना। |

| उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा - 6 से 8 हेतु) | |
|--|---|
| क्र. | पाठ्य - वस्तु |
| 1 | उड़िया भाषा-स्वरूप, लिपि, वर्तनी और उच्चारण-सटीकता। |
| 2 | गहन पठन-बोध - गद्यांश, भाव, प्रसंग, मुख्य विचार और निष्कर्ष। |
| 3 | लेखन-कौशल - निबंध, समाचार-रिपोर्ट, कार्यालयी पत्र तथा संक्षिप्त अभिव्यक्ति। |
| 4 | शब्द-भंडार - पर्याय, विलोम, समान शब्द-भिन्न अर्थ, एक-शब्द, मुहावरे। |
| 5 | मूल व्याकरण - संज्ञा, संधि, त्रुटि-संशोधन, वाक्य-शुद्धता। |
| 6 | गद्य, पद्य, कहानी/एकांकी का शैली आधारित अध्ययन। |
| 7 | श्रवण, भाषण, उच्चारण, सटीकता, प्रवाह तथा शब्दावली। |
| 8 | बहुभाषी कक्षा में उड़िया भाषा-प्रयोग, सरल रूपांतरण तथा द्विभाषीय पठन-पाठन सहयोग। |
| 9 | लोकसाहित्य, साहित्यिक-सांस्कृतिक परंपरा और समुदाय-संबंध। |
| 10 | अनुभवात्मक भाषा-शिक्षण, स्थानीय भाषा दक्षता और Odia print/digital resources का उपयोग। |
| 11 | नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में बहुभाषिक कक्षा, द्विभाषिक सामग्री ज्ञान पर आधारित ओड़िया भाषा-शिक्षण। |

Mamta
14/03/2024

K
14/03/2026

N. Rani
14.03.2026

Dr

R
14.03.26

Dr

झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

विषय : भाषा - 2 (क्षेत्रीय भाषा) : खोरठा

(परीक्षा-प्रयुक्त लिपि : देवनागरी)

| प्राथमिक स्तर (कक्षा - 1 से 5 हेतु) | |
|-------------------------------------|---|
| क्र. | पाठ्य - वस्तु |
| 1 | खोरठा भाषा एवं स्थानीय भाषिक-समुदाय का परिचय। |
| 2 | देवनागरी आधारित लेखन-प्रस्तुति, उच्चारण एवं वर्तनी का प्रारंभिक परिचय। |
| 3 | मूल शब्दावली - परिवार, शरीर, घर, गाँव, खेती, प्रकृति, पशु-पक्षी, संख्या, रंग, दैनिक व्यवहार। |
| 4 | मूल व्याकरण - संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वचन और काल का प्रारंभिक परिचय। |
| 5 | सरल वाक्य-प्रयोग - अभिवादन, परिचय, प्रश्न-उत्तर और दैनिक व्यवहार। |
| 6 | लघु पठन-बोध - शब्द, सरल वाक्य, छोटे संवाद और लघु गद्यांश। |
| 7 | आधारभूत लेखन - शब्द-लेखन, वाक्य-लेखन, चित्र-आधारित उत्तर, रिक्त-पूर्ति और एक-दो पंक्ति उत्तर। |
| 8 | लोकगीत, लोककथा एवं मौखिक परंपरा का प्राथमिक परिचय। |
| 9 | भाषा एवं स्थानीय संस्कृतिधर्म-त्योहार का प्राथमिक परिचय। |
| 10 | नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में मातृभाषा-आधारित प्रारंभिक अधिगम - खोरठा भाषा में संवाद, गीत, कहानी और स्थानीय अनुभवों से सीखना। |

| उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा - 6 से 8 हेतु) | |
|--|---|
| क्र. | पाठ्य - वस्तु |
| 1 | खोरठा भाषा, भाषिक क्षेत्र एवं समुदाय-संदर्भ का परिचय। |
| 2 | देवनागरी आधारित लेखन-प्रस्तुति, रूपांतरण, उच्चारण और वर्तनी। |
| 3 | विस्तृत शब्दावली एवं व्यावहारिक प्रयोग। |
| 4 | व्याकरण का क्रियात्मक अध्ययन - संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, कारक, वाक्य-रचना और उपसर्ग-प्रत्यय का प्रारंभिक उपयोग। |
| 5 | गद्यांश/संवाद/पद्यांश आधारित पठन-बोध। |
| 6 | लेखन-कौशल - लघु अनुच्छेद, पत्र/आवेदन का प्रारूप, भावार्थ तथा सरल अनुवाद/रूपांतरण। |
| 7 | लोकसाहित्य, गद्य, पद्य, प्रमुख साहित्यकारों एवं सांस्कृतिक विरासत का सामान्य परिचय। |
| 8 | बहुभाषी कक्षा में खोरठा भाषा-शिक्षण की आधारभूत प्रासंगिकता। |
| 9 | नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में बहुभाषिक कक्षा, द्विभाषिक सामग्री और स्थानीय/क्षेत्रीय ज्ञान पर आधारित खोरठा भाषा-शिक्षण। |

N. Ravi
14.03.2026


14/03/2026


14/03/2026


14/03/26

Mandlen
13/3/26

झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

विषय : भाषा - 2 (क्षेत्रीय भाषा) : कुरमाली

(परीक्षा-प्रयुक्त लिपि : देवनागरी)

| प्राथमिक स्तर (कक्षा - 1 से 5 हेतु) | |
|-------------------------------------|---|
| क्र. | पाठ्य - वस्तु |
| 1 | भाषा-परिचय एवं भाषिक पहचान - कुरमाली का सामान्य परिचय, स्थानीय भाषिक परिवेश, दैनंदिन प्रयोग और सामान्य शब्दावली। |
| 2 | देवनागरी-आधारित प्रस्तुति, वर्ण, ध्वनि, उच्चारण और वर्तनी - स्वर-व्यंजन, ध्वनि-वर्ण संबंध, शुद्ध लेखन और मूल वर्तनी-नियम। |
| 3 | मूल व्याकरण - संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन और कारक की प्रारंभिक पहचान तथा सरल प्रयोग। |
| 4 | शब्दभंडार एवं व्यावहारिक प्रयोग - परिवार, विद्यालय, प्रकृति, संख्या, समय, रंग तथा सामान्य क्रियाओं से संबंधित शब्दावली। |
| 5 | सरल वाक्य-विन्यास और संवाद - साधारण वाक्य, प्रश्नोत्तर, अभिवादन, आदेश, सूचना और लघु संवाद। |
| 6 | पठन-बोध - सरल गद्यांश, संवाद, चित्र-आधारित पाठ और लघु समझ-आधारित प्रश्न। |
| 7 | लेखन-कौशल - शब्द-लेखन, वाक्य-लेखन, चित्र-वर्णन, लघु अनुच्छेद, छोटा संदेश/पत्र। |
| 8 | लोक-साहित्य एवं संस्कृति - लोकगीत, लोककथा, कहावत, पहेली, पर्व-त्योहार और लोकजीवन का प्रारंभिक परिचय। |
| 9 | भाषा-शिक्षण प्रासंगिकता - श्रवण, वाचन, बोलना, लेखन तथा गतिविधि-आधारित प्राथमिक भाषा-अधिगम। |
| 10 | नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में मातृभाषा-आधारित प्रारंभिक अधिगम - कुरमाली भाषा में संवाद, गीत, कहानी और स्थानीय अनुभवों से सीखना। |

Mam Lalson
14/03/26

14/03/2026

N. Rani
14.03.2026

14/03/26

14.03.26

Dr.

झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

विषय : भाषा - 2 (क्षेत्रीय भाषा) : कुरमाली

(परीक्षा-प्रयुक्त लिपि : देवनागरी)

| उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा - 6 से 8 हेतु) | |
|--|--|
| क्र. | पाठ्य - वस्तु |
| 1 | भाषा एवं साहित्य का संक्षिप्त इतिहासधरंपरा - कुरमाली भाषा की पृष्ठभूमि तथा साहित्यिक परंपरा का परिचयात्मक अवलोकन। |
| 2 | व्याकरण एवं वाक्य-विन्यास - शब्दभेद, लिंग, वचन, कारक, काल, वाक्य, उपसर्ग-प्रत्यय, समास, वाक्य-रचना और शुद्ध प्रयोग। |
| 3 | भाषा-विज्ञान / भाषिक संरचना का सामान्य परिचय - भाषा, बोली, ध्वनि, पद, वाक्य, अर्थ, लिपि और भाषा-विज्ञान की आधारभूत अवधारणाएँ। |
| 4 | पठन-बोध, भावार्थ और अपठित पाठ - अपठित गद्य/पद्य, सार, भावार्थ, आशय और संदर्भ-आधारित प्रश्न। |
| 5 | रचनात्मक एवं व्यावहारिक लेखन - अनुच्छेद, निबंध, पत्र, आवेदन, संवाद, विवरणात्मक लेखन और प्रारूपण। |
| 6 | शब्दसम्पदा, लोकोक्ति, मुहावरा, प्रयोग एवं भाषा-शुद्धि - शब्दार्थ, व्यावहारिक प्रयोग, लोकोक्ति, मुहावरे और शुद्ध-अशुद्ध वाक्य। |
| 7 | लोक-साहित्य का विस्तृत अवलोकन - लोकगीत, लोकगाथा, लोककथा, लोकनाट्य, लोकनृत्य, पहेली और कहावतें। |
| 8 | साहित्यिक रूपों का परिचय - कविता, कहानी, नाटक, निबंध, नयी विधाएँ, उपन्यास और काव्य के विविध रूप। |
| 9 | झारखण्डी सांस्कृतिक-सामाजिक संदर्भ - कला-संस्कृति, नृत्य-गीत, आभूषण, कृषि, पाक-कला, औषधीय ज्ञान तथा भारतीय-आदिवासी साहित्यिक अंतर्संबंध। |
| 10 | भाषा-शिक्षण प्रासंगिकता - त्रुटि-संशोधन, पाठ-आधारित शिक्षण, गतिविधि-आधारित अधिगम और बहुभाषिक कक्षा-सेतु। |
| 11 | नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में बहुभाषिक कक्षा, द्विभाषिक सामग्री और स्थानीय/क्षेत्रीय ज्ञान पर आधारित कुरमाली भाषा-शिक्षण। |

Mamilsan
14/03/26

14/03/2026

N. Rani
14.03.2026

14.03.26

14.03.26

نصاب برائے ریاستی اہلیتی امتحان ، جھارکھنڈ

SYLLABUS FOR JHARKHAND TEACHER ELIGIBILITY TEST

مضمون : اردو

جماعت : یکم تا پنجم کے لئے

Subject : Urdu

For Class 1 to 5

درسی اقتباس (تخلیق اور تخلیق کار کا تعارف)

نظم : فراق گورکھ پوری - دیوالی کے دیپ جلے

اختر شیرانی - او صبح کے ستارے

علامہ اقبال - ایک پہاڑ اور گلہری -

اسماعیل میرٹھی - گرمی کا موسم

اکبر الہ آبادی - جلوہ دربار دہلی

غزل : ولی دکنی - مفلسی سب بہار کھوتی ہے

شاد عظیم آبادی - ڈھونڈوگے اگر ملکوں ملکوں ملنے کو نہیں نا یاب ہیں ہم


افسانہ : راجندر سنگھ بیدی - بھولا

سعادت حسن منٹو - نیا قانون

سوانح - سر سید کا بچپن


مضمون - سر سید احمد خاں - عورتوں کے حقوق

اسلم پرویز - ماحول بچائیے


14/03/2026

N. Rami
14.03.2026


14/03/2026


14/03/2026

Manjula
14/3/26



غیر درسی اقتباس

قواعد اور آموزش

قواعد: کلمہ - اسم (معرفہ، نکرہ) فعل (ماضی، حال، مستقبل) حرف

ضمیر: (مخاطب، غائب، متکلم)

اسم جنس (تذکیر و تانیث)

واحد و جمع

موصوف و صفت

مترادف الفاظ

متضاد الفاظ


سابقہ اور لاحقہ

محاوروں اور ضرب الامثال (کہاوٹیں) کا مطلب اور جملوں میں استعمال



14-03-26

N. Rani
24-03-2026

14/03/2026


14/03/2026

Mankalder
14/03/26



اردو زبان کی تدریس کا فن (Urdu Language Pedagogy)

اردو زبان کی تدریس کے اصول و طریقے

Method of Urdu Language teaching and principles

کثیر لسانی جماعت میں اردو زبان کی تدریس کے مسائل

Challenges of Urdu Language Teaching in Multilingual Classroom

زبان کی پیچیدگیاں ، غلطیاں اور نقائص اور اس کا حل

زبان کی مہارتیں (Language skills)

طفل مرکوز تعلیم (Child Centred Education)

اردو زبان کی تفہیم اور صلاحیت کا تعین قدر کرنا، سننا ، بولنا ، پڑھنا اور لکھنا (Evaluation)

تدریسی آموزشی مواد (TLM)

درسی کتب، ملٹی میڈیا مواد اور کلاس روم کے کثیر لسانی مسائل

اصلاحی تدریس (Remedial Classes)

حق تعلیم ایکٹ (RTE Act -2009)

قومی تعلیمی پالیسی (NEP 2020)

قومی درسیات کا خاکہ (NCF 2023)

[Signature]
14.03.26

[Signature]
14/03/2026

[Signature]
14/03/2026

N. Rani
14.03.2026

[Signature]
14/3/26

[Signature]

نصاب برائے ریاستی اہلیتی امتحان ، جھارکھنڈ

SYLLABUS FOR JHARKHAND TEACHER'S ELIGIBILITY TEST

مضمون : اردو

جماعت : ششم تا ہشتم کے لئے

Subject : Urdu

For Class 6 to 8

درسی اقتباس (تخلیق اور تخلیق کار کا تعارف)

نظم : نظیر اکبر آبادی - برسات کی بہاریں

فیض احمد فیض - فلسطینی بچے کے لئے لوری

علامہ اقبال - ماں کا خواب -

اسماعیل میرٹھی - بارش کا پہلا قطرہ

اختر الایمان - ایک لڑکا

علی سردار جعفری - اردو

غزل : ذوق - لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے

میر تقی میر - اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا

میر درد - ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے

غالب - ابن مریم بوا کرے کوئی

مرثیہ : میر انیس - شہادت حضرت عباس


قصیدہ : مرزا غالب - ہاں مہ نو سنیں اس کا نام

داستان : میر امن - سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی


14/03/26

N. Rani
14.03.2026


14/03/2026


14/03/26

Manilola
14/3/26



ناول : منشی پریم چند - بیوہ

افسانہ : پریم چند - عیدگاہ

کرشن چندر - دو فرلانگ لمبی سڑک

کہانی : غلام عباس - گل عباس

اطہر پرویز - پتھر کا سوپ

ڈرامہ : آغا حشر کاشمیری - یہودی کی لڑکی

غیر درسی اقتباس

قواعد اور آموزش

قواعد: کلمہ - اسم (معرفہ اور نکرہ کے اقسام) فعل (معروف، مجہول، لازم، متعدی، مثبت، منفی)
حرف

ضمیر اور ان کی اقسام

اسم جنس (تذکیر و تانیث)

واحد و جمع

موصوف و صفت

مترادف الفاظ (بم معنی الفاظ)

متضاد الفاظ

[Handwritten signature]
140326

N. Rami
14.03.2026

[Handwritten signature]
14/03/2026

[Handwritten signature]
14/03/2026

Mamulal
14/3/26

[Handwritten signature]

سابقہ اور لاحقہ

محاوروں اور ضرب الامثال (کہاوٹیں) کا مطلب اور جملوں میں استعمال

اردو زبان کی تدریس کا فن (Urdu Language Pedagogy)

اردو زبان کی تدریس کے اصول و طریقے

Method of Urdu Language teaching and principles

کثیر لسانی جماعت میں اردو زبان کی تدریس کے مسائل

Challenges of Urdu Language Teaching in Multilingual Classroom

زبان کی پیچیدگیاں ، غلطیاں اور نقائص اور اس کا حل

زبان کی مہارتیں (Language skills)

طفل مرکوز تعلیم (Child Centred Education)

اردو زبان کی تفہیم اور صلاحیت کا تعین قدر کرنا، سننا ، بولنا ، پڑھنا اور لکھنا (Evaluation)

تدریسی آموزشی مواد (TLM)

درسی کتب، ملٹی میڈیا مواد اور کلاس روم کے کثیر لسانی مسائل

اصلاحی تدریس (Remedial Classes)

حق تعلیم ایکٹ (RTE Act -2009)

قومی تعلیمی پالیسی (NEP 2020)

قومی درسیات کا خاکہ (NCF 2023)

14/03/26

N. Rani
14.03.2026

14/03/2026

14/03/2026


Manilal
14/3/26

झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

विषय : संस्कृत


(परीक्षा-प्रयुक्त लिपि : देवनागरी)

| प्राथमिक स्तर (कक्षा - 1 से 5 हेतु) | |
|-------------------------------------|--|
| क्र. | पाठ्य - वस्तु |
| 1 | अपठित-गद्यांश |
| 2 | व्याकरणम्- वर्णों का उच्चारण स्थान, सन्धि, समास, कारक-उपपद-विभक्ति, लिङ्ग, विभक्ति, उपसर्ग, अव्यय, अशुद्धि-संशोधन। |
| | प्रत्यय |
| | कृदन्त - तुमुन्, क्त्वा, ल्यप्, तव्यत्, अनीयर्, शतृ - शानच्, क्त, क्तवत्, यत्, ण्यत्। स्त्री प्रत्यय - टप्, डीप्। |
| | शब्द-भण्डार |
| | पर्यायवाची, विलोमपद, विशेषण-विशेष्य, समयवाचक-शब्द, संख्यावाचि-शब्द। |
| | शब्दरूप - |
| | अकारान्त बालकवत्, अकारान्त नपु. फलवत्, आकारान्त स्त्री. लतावत्, इकारान्त पु. मुनिवत्, ईकारान्त स्त्री. नदीवत्, उकारान्त पु. साधुवत्, इकारान्त नपु. वारिवत्। |
| | सर्वनाम शब्द- अस्मद्, युष्मद्। |
| | (एतत्, तत्, इदम्, किम्, सर्व) - तीनों लिंगों में । |
| | धातुरूप - |
| | परस्मैपदी - गम्, पठ्, दृश्, दा, कृ, विद्, भू, अस्, नम्, घ्रा, पा, लिख्, क्रीड्, श्रु। |
| | आत्मनेपदी- सेव्, लभ्, वृत्, -याच् (लट् - लङ्- लृट्- लोट्- विधिलिङ्) |
| 3 | लौकिक साहित्य- |
| | रामायणम्, महाभारतम्, श्रीमद्भगवद्गीता, कादम्बरी, मेघदूतम्, अभिज्ञानशाकुन्तलम् सामान्य परिचय। |
| 4 | संस्कृत ग्रंथ एवं रचनाकारों का सामान्य परिचय। |
| 5 | शिक्षाशास्त्र - भाषा-कौशल- दैनिक जीवन की अभिव्यक्तियां। |
| | संस्कृत शिक्षण की विधियां - प्रत्यक्ष विधि, अनुवाद विधि, व्याकरण विधि। |
| 7 | राष्ट्रीय शिक्षा नीति'2020 के संदर्भ में प्रावधान |



14.03.26

N. Rami
14.03.2026


14/03/2026


14/03/2026

Mamilsan
14/3/26



| उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा - 6 से 8 हेतु) | |
|--|---|
| क्र. | पाठ्य - वस्तु |
| 1 | अपठित-गद्यांशः |
| 2 | व्याकरणम्- वर्ण, सन्धि, समास, कारक-उपपद-विभक्ति, लिङ्ग, विभक्ति, उपसर्ग, अव्यय, वाच्य एवं अशुद्धि-संशोधन। प्रत्यय कृदन्त - तुमुन्, क्त्वा, ल्यप्, तव्यत्, अनीयर्, शतृ - शानच्, क्त, क्तवतु, यत्, ण्यत्। तद्धित- मतुप्, णिनि, ठक्, त्व, तल्। स्त्री प्रत्यय - टप्, डीप् । शब्द-भण्डार- पर्यायवाची, विलोमपद, विशेषण-विशेष्य, समयवाचक-शब्द, संख्यावाचि-शब्द। शब्दरूप - अकारान्त बालकवत्, अकारान्त नपु. फलवत्, आकारान्त स्त्री. लतावत्, इकारान्त पु. मुनिवत्, ईकारान्त स्त्री. नदीवत्, उकारान्त पु. साधुवत्, ऋकारान्त पु. पितृवत्, ॠकारान्त स्त्री. मातृवत्, इकारान्त नपु. वारिवत्। सर्वनाम शब्द- अस्मद्, युष्मद्। (एतत्, तत्, इदम्, किम्, सर्व) - तीनों लिंगों में । हलन्त शब्द- राजन्, आत्मन्, विद्वस्, गच्छत्। धातुरूप - परस्मैपदी - गम्, पठ्, दृश्, दा, कृ, विद्, भू, अस्, नम्, घ्रा, पा, लिख्, क्रीड्, श्रु। आत्मनेपदी- सेव्, लभ्, वृत्, याच् (लट् - लङ्- लृट्- लोट्- विधिलिङ्) |
| 3 | वैदिक-साहित्य - ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पुराण, उपनिषद् का सामान्य ज्ञान। |
| 4 | लौकिक साहित्य- रामायणम्, महाभारतम्, श्रीमद्भगवद्गीता, कादम्बरी, मृच्छकटिकम्, शिवराजविजयम्, चम्पूकाव्यम् (नलचम्पू) , मेघदूतम्, कुमारसम्भवम्, अभिज्ञानशाकुन्तलम् एवं उत्तररामचरितम् का सामान्य परिचय। संस्कृत ग्रन्थ एवं रचनाकारों का सामान्य परिचय। |
| 5 | छन्दों का सामान्य परिचय। |
| 6 | वर्णों का उच्चारण स्थान एवं प्रकार। |
| 7 | शिक्षाशास्त्र - भाषा-कौशल- दैनिक जीवन की अभिव्यक्तियां। |
| 8 | संस्कृत शिक्षण की विधियां-प्रत्यक्ष विधि, अनुवाद विधि, व्याकरण विधि। |
| 9 | राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में प्रावधान। |

14/03/26

N. Rani
14.03.2026

14/03/2026

14/03/2026

Mantalar
14/3/26

झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

विषय : हिन्दी

(परीक्षा-प्रयुक्त लिपि : देवनागरी)

प्राथमिक स्तर (कक्षा - 1 से 5 हेतु)

पाठ्य - वस्तु

(क) भाषायी समझ एवं निष्कर्ष :

| | |
|-----------------------------|--|
| 1 | अपठित उद्धरण |
| 2 | गद्यांश |
| 3 | पद्यांश |
| 4 | व्याकरण :- वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, क्रिया, कारक, काल, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, श्रुतिसमभिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ इत्यादि। |
| (ख) शिक्षण शास्त्रीय आयाम : | |
| 1 | भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ |
| 2 | भाषा कौशल एवं समझ |
| 3 | संप्रेषण कौशल का विकास |
| 4 | भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाईयों/विसंगतियों का निराकरण |
| 5 | शिक्षक उपादान |
| 6 | उपचारात्मक शिक्षण |
| 7 | राष्ट्रीय शिक्षा नीति'2020 के संदर्भ में 4 ब्लॉक अप्रोच |

[Signature]
14/03/26

N. Rani
14/03/2026

[Signature]
14/03/2026

[Signature]
14/03/2026

Mantalew
14/03/26

[Signature]

झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

विषय : हिन्दी

(परीक्षा-प्रयुक्त लिपि : देवनागरी)

| | |
|--|---|
| उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा - 6 से 8 हेतु) | |
| पाठ्य वस्तु | |
| (क) भाषायी समझ एवं निष्कर्ष : | |
| 1 | अपठित उद्धरण |
| 2 | गद्यांश |
| 3 | पद्यांश |
| 4 | व्याकरण :- शब्द भेद, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, विशेषण, क्रिया, कारक, काल, वाक्य-रचना, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ इत्यादि। |
| (ख) शिक्षण शास्त्रीय आयाम : | |
| 1 | भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ |
| 2 | भाषा कौशल एवं समझ |
| 3 | संप्रेषण कौशल का विकास |
| 4 | भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाईयों/विसंगतियों का निराकरण |
| 5 | शिक्षक उपादान |
| 6 | उपचारात्मक शिक्षण |
| 7 | राष्ट्रीय शिक्षा नीति'2020 के संदर्भ में 4 ब्लॉक अप्रोच |

[Signature]
14/03/26

[Signature]
14/03/2026

[Signature]
14/03/2026

N. Rami
14.03.2026

Mam'lal
14/3/26

[Signature]

झारखण्ड शिक्षा पात्रता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

विषय: भाषा-02 (अंग्रेजी)

(परीक्षा-प्रयुक्त लिपि: रोमन)

| प्राथमिक स्तर (कक्षा 01 से 05 हेतु) | |
|-------------------------------------|--|
| S No. | Syllabus |
| | |
| 1 | Two unseen prose passages (discursive or literary or narrative or scientific) with question on comprehension, grammar and verbal ability |
| | Section - (B) Pedagogy of Language Development |
| 1 | Learning and acquisition |
| 2 | Principles of language Teaching |
| 3 | Role of listening and speaking; function of language and how children use it as a tool |
| 4 | Challenges of teaching language in a diverse classroom; language difficulties, errors and disorders |
| 5 | Language Skills and four block approach |
| 6 | Evaluating language comprehension and proficiency: speaking, listening, reading and writing |
| 7 | Teaching - learning materials: Textbook, multi-media materials, multilingual resource of the classroom |
| 8 | Remedial Teaching |
| | Section - (C) Grammar |
| 1 | Parts of speech |
| 2 | Subject Verb Agreement |
| 3 | Jumbled words/sentences |
| 4 | Correct form of verb, Tense |
| 5 | Idioms & phrases |
| 6 | Article/determiners |
| 7 | Synonyms/antonyms |
| 8 | Phonology |
| 9 | Punctuation |
| 10 | Question pattern/wh-questions, tag questions |
| 11 | Sentence pattern/types of sentence, Clause |
| 12 | Contracted form |
| 13 | Connectors/linking words/ Conjunction |
| 14 | Error Recognition |
| 15 | Figure of Speech (Simile & Metaphor) |
| 16 | Gender |
| 17 | Morpheme |
| 18 | Language in NEP 2020 |

[Signature]
14/03/26

[Signature]
14/03/2026

[Signature]
14/03/2026

N. Rami
14.03.2026

Mamulka
14/03/26

[Signature]

झारखण्ड शिक्षा पात्रता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

विषय: भाषा-02 (अंग्रेजी)

(परीक्षा-प्रयुक्त लिपि: रोमन)

| प्राथमिक स्तर (कक्षा 06 से 08 हेतु) | |
|-------------------------------------|--|
| S No. | Syllabus |
| | |
| 1 | Two unseen prose passages (discursive or literary or narrative or scientific) with question on comprehension, grammar and verbal ability |
| | Section - (B) Pedagogy of Language Development |
| 1 | Learning and acquisition |
| 2 | Principles of language Teaching |
| 3 | Role of listening and speaking; function of language and how children use it as a tool |
| 4 | Critical perspective on the role of grammar In learning a language for communicating ideas verbally and in written form |
| 5 | Challenges of teaching language in a diverse classroom; language difficulties, errors and disorders |
| 6 | Language Skills |
| 7 | Evaluating language comprehension and proficiency: speaking, listening, reading and writing |
| 8 | Teaching-learning materials: Textbook, multi-media materials, multilingual resource of the classroom |
| 9 | Remedial Teaching |
| | Section - (C) Grammar |
| 1 | Correct form of verb/tense |
| 2 | Parts of speech |
| 3 | Subject Verb Agreement |
| 4 | Phrase & Clause/ Phrasal Verb/ Use of Phrase & Idioms |
| 5 | Determiners |
| 6 | Voice-Active and passive voice |
| 7 | Narration |
| 8 | Transitive and Intransitive verb |
| 9 | Prefix, suffix, Vocabulary-Synonyms, antonyms, homonyms and homophones |
| 10 | Sentence types- simple, compound, complex sentence/question tags |
| 11 | Figure of speech (Simile , Metaphor, Personification, Irony and Alliteration) |
| 12 | Sonnet |
| 13 | Morpheme |
| 14 | Gender |
| 15 | Language in NEP 2020 |

[Signature]
14/03/26

[Signature]
14/03/2026

[Signature]
14/03/2026

N. Ravi
14.03.2026

Mamila S. J.
14/03/26
[Signature]

झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

विषय : गणित

(परीक्षा-प्रयुक्त लिपि : देवनागरी)

| प्राथमिक स्तर (कक्षा - 1 से 5 हेतु) | |
|-------------------------------------|--|
| गणित | |
| क्र. सं. | (क) सामान्य गणित |
| 1 | संख्याएँ- संख्याएँ एवं गणितीय संक्रियाएँ |
| 2 | ज्यामिति और स्थानिक समझ - आकृतियाँ, ठोस आकृतियाँ (द्विविमीय एवं त्रिविमीय), सममिति |
| 3 | मापन और इकाइयाँ - लंबाई, मात्रा, भार, आयतन, समय, आदि |
| 4 | व्यावहारिक एवं वाणिज्यिक गणित - मुद्रा, लाभ और हानि, साधारण ब्याज, क्षेत्रमिति, प्रतिशत, भिन्न, आंकड़ों का प्रबंधन, पैटर्न आदि |
| (ख) शिक्षा शास्त्रीय आयाम : | |
| 1 | गणित की प्रकृति एवं स्वरूप |
| 2 | गणित शिक्षण की विधियाँ |
| 3 | गणित शिक्षण की समस्याएँ एवं चुनौतियाँ |
| 4 | निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन (CCE/HPC) |
| 5 | विशेष संदर्भ (NEP 2020, NCF-FS & NCF SE) |

14/03/26

14/03/2026

N. Rami
14.03.2026

Mamta
14/03/26

14/03/26

झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

विषय : गणित

(परीक्षा-प्रयुक्त लिपि : देवनागरी)

| प्राथमिक स्तर (कक्षा - 6 से 8 हेतु) | |
|-------------------------------------|--|
| गणित | |
| क्र. सं. | (क) गणित की विषय-वस्तु |
| 1 | सामान्य गणित :- 1. संख्या पद्धति, संख्या की समझ, प्राकृतिक संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ, परिमेय संख्या, पूर्णांक (Integers) 2. घातांक, ऋणात्मक संख्या, भिन्न, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त्य। |
| 2 | बीज गणित :- 1. चर संख्याएँ, अचर संख्याएँ, चर संख्याएँ की घात, बिजीय व्यंजक एवं सर्वसमिकाएँ, बीज गणितीय व्यंजक एवं उनकी संक्रियाएँ |
| 3 | अंक गणित :- अनुपात एवं समानुपात, ऐकिक नियम, प्रतिशत, लाभ-हानि, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं दूरी, समय एवं काम से संबंधित व्यावहारिक गणित |
| 4 | ज्यामिति :- ज्यामिति आकृतियों की समझ, द्विविमीय, त्रिविमीय, सममिति |
| 5 | क्षेत्रमिति :- परिमिति, क्षेत्रफल आयतन |
| 6 | आकड़ों का प्रयोग :- आकड़ों का संग्रह एवं उन्हें व्यवस्थित करना |
| 7 | ग्राफ :- पाई एवं दण्ड चार्ट, अवर्गीकृत आकड़ों का चित्र, दण्ड आरेख तथा मिश्रित दण्ड का आरेख |
| (ख) शिक्षण शास्त्रीय आयाम : | |
| 1 | गणितीय/तार्किक चिंतन की प्रकृति |
| 2 | गणित की प्रकृति एवं स्वरूप, गणित शिक्षण की विधियाँ, गणित शिक्षण की समस्याएं |
| 3 | निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन (CCE/HPC) |
| 4 | NEP 2020 के संदर्भ में 04 ब्लॉक अप्रोच, ELPS (Experience, Language, Pictures, Symbols Approach) |

[Signature]
14/03/26

[Signature]
14/03/2026

[Signature]
14/03/2026

N. Rami
24.03.2026

Mam Laddo
14/03/26

[Signature]

झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

विषय : विज्ञान

(परीक्षा-प्रयुक्त लिपि : देवनागरी)

| प्राथमिक स्तर (कक्षा - 6 से 8 हेतु) | |
|-------------------------------------|--|
| विज्ञान | |
| क्र. सं. | (क) सामान्य विज्ञान |
| 1 | भोजन के स्रोत, भोजन के अद्यव, स्वास्थ्य और स्वच्छता, फसलों से अन्न की प्राप्ति, पौधे में पोषण, भोजन का उपयोग। |
| 2 | दैनिक उपयोग की सामग्री, विभिन्न प्रकार के पदार्थ, पदार्थों का पृथक्करण, अम्ल क्षारक एवं लवण। |
| 3 | आस-पास की वस्तुएँ, जीव-जगत, सजीवों का वर्गीकरण, सजीवों का वासस्थान, पौधों की संरचना और कार्य, जन्तुओं की संरचना और कार्य, सजीवों पर परिवेश का प्रभाव, जैव विविधताओं का संरक्षण, जीवों में श्वसन, पाचन एवं उत्सर्जन |
| 4 | मापन, गति, बल, घर्षण एवं ध्वनि |
| 5 | विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, विद्युत उपकरण, चुंबक, प्रकाश, ऊष्मा एवं ताप |
| 6 | प्राकृतिक घटनाएँ, प्रबंधन, ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत, |
| 7 | वन उत्पाद, हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत, प्रदूषण एवं उनके प्रकार, कचरा प्रबंधन |
| (ख) शिक्षण शास्त्रीय आयाम : | |
| 1 | विज्ञान की प्रकृति और संरचना |
| 2 | विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य |
| 3 | विज्ञान की समझ |
| 4 | विज्ञान शिक्षण की विधियाँ - STEAM आधारित विज्ञान शिक्षण, अवलोकन/ प्रयोग/खोज आधारित/विज्ञान शिक्षण इत्यादि |
| 5 | पाठ्यचर्या सामग्री/सहायता सामग्री का उपयोग, उपचारात्मक शिक्षण |
| 6 | मूल्यांकन (CCE/HPC) |

N. Rani
14.03.2026Bhawan
14/03/2026S
14/03/2026Manilata
14/03/26S
14/03/26

S

झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम
विषय : सामाजिक विज्ञान
(परीक्षा-प्रयुक्त लिपि : देवनागरी)

| उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा - 6 से 8 हेतु) | |
|--|--|
| क्र. सं. | (क) पाठ्य वस्तु |
| 1 | इतिहास:- (i) इतिहास लेखन के स्रोत (ii) प्रारंभिक समाज- कृषि, पशुपालन, नगरीकरण, जीवन के आयाम (iii) प्रारंभिक राज्य- प्रथम साम्राज्य (सम्राट अशोक, मौर्य प्रशासन) (iv) मुगल साम्राज्य (v) शहर, व्यापार और कारीगर (vi) सामाजिक संस्कृति का विकास (vii) अठारहवीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएँ (viii) भारत में कंपनी शासन की स्थापना (ix) उपनिवेशवाद (x) जनजातीय समाज/संताल विद्रोह (xi) 1857 का विद्रोह (xii) ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा (xiii) महिलाओं की स्थिति एवं सुधार (xiv) राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक (xv) स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का भारत |
| 2 | भूगोल:- (i) सौरमंडल (ii) वायुमंडल (iii) जलमंडल (iv) पृथ्वी और उसकी गतियाँ (v) पृथ्वी की आंतरिक संरचना (vi) पर्यावरण- भौतिक पर्यावरण/ जलवायु के कारक (vii) मानव पर्यावरण- अन्योन्य क्रिया, ऊष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश (viii) शीतोष्ण घास स्थल में जीवन (ix) रेगिस्तान में जीवन (x) ऋतुएँ (xi) प्राकृतिक संसाधन-भूमि, मिट्टी, खनिज, वनस्पति (xii) मानव संसाधन (xiii) कृषि (xiv) उद्योग (xv) भारत की स्थिति एवं आकार (xvi) झारखण्ड राज्य स्थिति एवं आकार (xvii) हमारा देश-भारत (xviii) हमारा राज्य- झारखण्ड |
| 3 | सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन :- (i) विविधता की समझ (ii) संविधान (iii) मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य (iv) राज्य सरकार (v) स्थानीय सरकार (vi) लोकतंत्र में समानता (vii) संसदीय सरकार |
| 4 | अर्थशास्त्र :- (i) जीविका के साधन (ii) व्यावसायिक क्रिया (iii) मुद्रा एवं विनियम (iv) जनसंख्या वृद्धि- भारत एवं झारखण्ड के संदर्भ में (v) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (vi) खाद्यान्न एवं व्यावसायिक फसलें (vii) सहकारिता (viii) बाजार (ix) आर्थिक एवं सामाजिक मूल्य (x) वित्तीय साक्षरता |
| (ख) शिक्षा शास्त्रीय आयाम :- | |
| 1 | सामाजिक विज्ञान की प्रकृति और अवधारणा |
| 2 | शिक्षण विधि |
| 3 | प्रोजेक्ट वर्क |
| 4 | सामाजिक विज्ञान शिक्षण की समस्याएँ |
| 5 | मूल्यांकन/सामाजिक विज्ञान में दक्षता आधारित आकलन |
| 6 | राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020:- सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में 'आलोचनात्मक चिंतन' का विकास |

[Signature]
14/03/26

[Signature]
14/03/2026

N. Rani
14.03.2026

Mam Lalas
14/03/26
[Signature]

झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम


विषय : पर्यावरण अध्ययन


(परीक्षा-प्रयुक्त लिपि : देवनागरी)

| प्राथमिक स्तर (कक्षा - 1 से 5 हेतु) | |
|-------------------------------------|---|
| क्र. सं. | (क) पाठ्य-वस्तु |
| 1 | परिवार और पड़ोस |
| 2 | भोजन - पौधों और जन्तुओं से प्राप्त भोजन, भोजन पकाना, भोजन करना, जन्तुओं/ पशुओं के आहार |
| 3 | आवास - आवास और उसके प्रकार, गृह सज्जा और सफाई, परिवार और घरेलू जीव-जन्तु |
| 4 | जल - जल के स्रोत, जल भण्डारण, हमारे जीवन और जल, जल का अभाव, जल का बहाव, पौधों एवं जन्तुओं के लिए जल की आवश्यकता |
| 5 | आवागमन एवं संप्रेषण |
| 6 | चीजें जो हम बनाते और करते हैं |
| (ख) शिक्षा शास्त्रीय आयाम : | |
| 1 | पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप |
| 2 | पर्यावरण अध्ययन का महत्त्व |
| 3 | पर्यावरण के बारे में शिक्षा |
| 4 | गतिविधियाँ/ व्यावहारिक कार्य/ परियोजना आधारित कार्य |
| 5 | सतत् व्यापक मूल्यांकन/ पर्यावरण अध्ययन में दक्षता आधारित आकलन |
| 6 | शिक्षण-उपादान |

N. Rani
14.03.2026


14/03/2026


14/03/2026

Mamta
14/03/26




झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

विषय : बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र

(परीक्षा-प्रयुक्त लिपि : देवनागरी)

| प्राथमिक स्तर (कक्षा - 1 से 5 हेतु) | |
|-------------------------------------|---|
| क्र. सं. | (क) अवधारणाएँ : |
| 1 | विकास की अवधारणा एवं अधिगम से इसका संबंध |
| 2 | बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएँ - NEP-2020, NCF-FS & NCF-SE |
| 3 | बाल केन्द्रित शिक्षा एवं अभिनव शिक्षण पद्धति |
| 4 | शिक्षार्थियों के बीच वैयक्तिक भिन्नताएँ |
| 5 | सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन, NEP-2020 के संदर्भ में समग्र आकलन एवं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी |
| 6 | समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा |
| (ख) अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र : | |
| 1 | बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं ? |
| 2 | शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएँ |
| 3 | अभिप्रेरणा और सीखना (संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं नैतिक विकास) |
| 4 | डिजिटल शिक्षा शास्त्र (ICT का समावेशन) |

| उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा - 6 से 8 हेतु) | |
|--|---|
| क्र. सं. | (क) अवधारणाएँ |
| 1 | विकास की अवधारणा एवं अधिगम से इसका संबंध |
| 2 | बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएँ - NEP-2020 & NCF-SE |
| 3 | बाल केन्द्रित शिक्षा एवं अभिनव शिक्षण पद्धति |
| 4 | शिक्षार्थियों के बीच वैयक्तिक भिन्नताएँ- |
| 5 | सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन, NEP-2020 के संदर्भ में समग्र आकलन एवं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी |
| 6 | समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा |
| (ख) अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र : | |
| 1 | बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं ? |
| 2 | शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएँ |
| 3 | अभिप्रेरणा -और सीखना (संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं नैतिक विकास) |
| 4 | डिजिटल शिक्षा शास्त्र (ICT का समावेशन) |

14/03/26

N. Rani
14.03.2026

14/03/2026

14/03/2026

Mamitaku
14/3/26

14/03/26

झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

विषय : कम्प्यूटर शिक्षा

(परीक्षा-प्रयुक्त लिपि : देवनागरी)

| प्राथमिक स्तर (कक्षा - 6 से 8 हेतु) | |
|-------------------------------------|---|
| कम्प्यूटर का परिचय | |
| क्र. सं. | कम्प्यूटर शिक्षा (सामान्य जानकारी) |
| 1 | कम्प्यूटर का परिचय, कार्यप्रणाली और इसकी पीढ़ियां (Computer Generation) |
| 2 | कम्प्यूटर के पार्ट्स और उनकी कार्य क्षमता की पहचान करना (कीबोर्ड की पहचान करना, वर्णमाला कुंजी, संख्यात्मक कुंजी, कैप्सलॉक, स्पेसबार, बैकस्पेस, डिलीट आदि) |
| 3 | माउस के बटनों की पहचान करना (बाएँ-दाएँ एवं स्कैल), पेन्ट ब्रश का प्रयोग (होम टैब, पेन्सिल, एरेजर, ब्रश/एयर ब्रश) |
| 4 | डेस्कटॉप का उद्देश्य, आईकन, स्टार्ट बटन, टास्क बार, रिसाईकल बिन |
| 5 | इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस, माईक्रोसॉफ्ट ऑफिस (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint) |
| 6 | वर्ड दस्तावेज में फॉर्मेटिंग, वर्ड प्रोसेसर, वर्ड स्क्रीन, मेन्यू बार, |
| 7 | इंटरनेट का परिचय एवं कनेक्शन के लिए आवश्यकताएँ, वेब ब्राउजर खोलने का चरण, सर्च इंजन एवं फाईल डाउनलोड, ईमेल अकाउन्ट बनाना एवं उसका उपयोग |
| 8 | विंडोज खोजना (फाईल नामकरण/परिपाटी) |
| 9 | पावर पॉइन्ट प्रस्तुति (स्लाईड बनाना, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, विडियो इन्सर्ट करना, स्लाईड शो एनिमेशन) एक्सेल स्प्रेडशीट |
| 10 | इंटरनेट का उपयोग एवं एटीकेट्स, साइबर सुरक्षा, डिजिटल प्लेटफॉर्म (NISHTHA, DIKSHA J-GURUJI, PM E-Vidya का उपयोग), ऑनलाइन क्लास/ मिटिंग टूल्स (गूगल मीट, जूम), शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ICT एवं AI (कृत्रिम बुद्धिमता) का एकीकरण का प्रारंभिक ज्ञान |

[Signature]
14/03/26

N. Rani
14.03.2026

[Signature]
14/03/2026

[Signature]
14/03/2026

Mandals
14/03/26

[Signature]